यायालय विशेष न्यायाधीश,एन.डी.पी.एस.प्रकरण संख्या–2, चित्तौड़गढ़(राज.)
पीठासीन न्यायाधीश : अचला आर्य, आर.जे.एस.

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन केस संख्या : 34/2017 (32/2015)

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 35/2015 पुलिस थाना कनेरा

राजस्थान राज्य, जरिये विशेष लोक अभियोजक,चित्तौड़गढ़ (राज.)
——अभियोगी

विरूद्व

01. नंदलाल पिता जगन्नाथ धाकड, निवासी बेणीपुरिया, थाना कनेरा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
02. सोनु उर्फ सादे खां पिता बद्री खान मैरासी मुसलमान, निवासी टीबी, थाना टीबी, जिला हनुमानगढ़ (राज.)
03. नरेश कुमार पिता सोहनलाल मेघवाल, निवासी टीबी, थाना टीबी, जिला हनुमानगढ़ (राज.)

——अभियुक्तगण—

अपराध धारा 8/15 स्वापक औषधि एवं

मनःप्रभावी प्रदार्थ अधिनियम,1985

उपस्थित :—

01— श्री उमाशंकर दाधीच, विशेष लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।
02— श्री कैलाश चन्द चौखड़ा, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से।

—:: निर्णय ::— दिनांक 13.08.2025

01. थानाधिकारी थाना कनेरा की ओर से अभियुक्तगण नंदलाल, सोनु उर्फ सादे खां व नरेश कुमार के विरूद्व धारा 8/15 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम,1985 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के अन्तर्गत पूर्ण चार्जशीट दिनांक 28.11.2015 को न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश, एनडीपीएस प्रकरण, संख्या 01 चित्तौड़गढ़ में प्रस्तुत किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश से यह सेशन प्रकरण विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस प्रकरण संख्या–1, चित्तौड़गढ़ से दिनांक 30.10.2017 को मुन्तकिल होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

02. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 01.06.2015 को समय 12.25 पीएम पर एसएचओ बाघसिंह उपनिरीक्षक थाना कनेरा को जरिये मुखबीर सूचना मिली कि, ''बेणीपुरिया गांव में नंदलाल पिता जगन्नाथ

धाकड़ निवासी बेणीपुरिया स्वयं के निर्माणाधीन नोहरे में उसके साथीगण सोनु उर्फ सादे खां व नरेशकुमार पिता सोहनलाल मेघवाल निवासीयान टीबी थाना टीबी जिला हनुमानगढ़ तीनों ने मिलकर नंदलाल धाकड़ के नोहरे गोदाम में भारी मात्रा में अवैध डोडाचूरा तस्करों को बेचने के लिये व तस्करी करने के लिये इकट्ठा कर रखा है जिनको व नंदलाल के निर्माणाधीन नोहरा जो बेणीपुरिया गांव के दक्षिण दिशा में बना हुआ है, में इकट्ठा कर रखा है। तुरंत नंदलाल धाकड़ के नोहरे पर दबीश देकर तलाशी नहीं ली गई तो डोडाचूरा खुर्द–बुर्द कर देगें या किसी वाहन में भरकर ले जायेगे।'' सूचना मुखबीर की अति विश्वसनीय होने से व तलाशी के लिये वारंट प्राप्त करने में समय लगेगा तबतक डोडाचूरा खुर्द–बुर्द करने की पूर्ण संभावना होने से बिना देरी किये सूचना मुखबीर को रोजनामचा आम में धारा 42(1) एनडीपीएस एक्ट के तहत रपट रोजनामचा आम में 18 पर दर्ज कर फर्द सूचना धारा 42 (2) एनडीपीएस एक्ट में मुर्तिब कर अपने उच्चाधिकारियों को नियमानुसार प्रेषित कर मय जाब्ता व अनुसंधान सामग्री आदि साथ लेकर आमद सूचना मुखबीर पर थाने से समय 12.35 पीएम पर रवाना हो बेणीपुरिया समय 12.55 पीएम पर पहुंचे जहां बेणीपुरिया गांव में चौराहे पर राहगीर रतनलाल पिता प्रभुलाल धाकड़ व किशनलाल पिता छगनलाल धाकड़ निवासीयान बेणीपुरिया को सूचना मुखबीर से अवगत करा नोटिस देकर लिखित में सहमति प्राप्त कर मौतबिरान बना उन्हें साथ लेकर समय 1.30 पीएम पर नोहरा नंदलाल धाकड़ के पहुंचे जहां पर नोहरे के दरवाजे पर लोहे के बड़े–बड़े गेट लगे हुए होकर अंदर से दरवाजा बंद मिला जिस पर उसने आवाज देकर गेट को खुलवाया तो दरवाजे के अंदर चार दीवारी दो पीछे के भाग में गोदामनूमा बना हो निर्माणाधीन हो गोदाम के उपर आरसीसी की छत बनी हुई थी तथा उक्त नोहरे गोदाम के अंदर तीन व्यक्ति खाटो पर बैठे हुए नजर आये जो पुलिस जाब्ते को देखकर भागने लगे जिन्हें यथास्थिति में रहने की हिदायत देकर उसने मय जाब्ता व मौतबिर के घेरा देकर पकड़ा व नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम नंदलाल पिता जगन्नाथ धाकड़ निवासी बेणीपुरिया, दूसरे ने अपना नाम सोनु उर्फ सादे खां व तीसरे ने अपना नाम नरेश कुमार पिता सोहनलाल मेघवाल निवासीयान टीबी थाना टीबी होना बताया। जिन्हें उसके द्वारा अपना परिचय देकर मुखबीर की

सूचना वे अवगत करा धारा 50 (1) एनडीपीएस एक्ट का नोटिस पृथक से दिया जाकर उन्हें उनके कानूनी अधिकारों से अवगत कराया व बाद उनकी व नोहरे की उसी से लिवाने की लिखित में सहमति के पश्चात् स्वयं की जामा तलाशी मौतबिरान को देकर एवं मौतबिरान की तलाशी लेकर उक्त तीनों व्यक्तियों की जामा तलाशी ली गयी तो नंदलाल की जेब से एक मोबाईल माईक्रो मैक्स कंपनी का बरंग काला जिसमें दो–दो सीमे लगी हुई थी व जेब से 350 रूपये नकद मिले, दूसरे व्यक्ति सोनु उर्फ सादे खां की तलाशी से उसकी शर्ट की जेब से एक मोबाईल माईक्रो मैक्स कंपनी का जिसमें दो सीमे लगी थी, तीसरे व्यक्ति नरेश कुमार की तलाशी लेने पर शर्ट की जेब से एक मोबाईल जीओनी एम.2 कंपनी का मिला जिसमें दो सीमे लगी होकर शर्ट की दूसरी जेब से 120 रूपये नकद मिले। उक्त तीनों मोबाईल व रूपयों को एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर चिट चस्पा कर मार्क ए दिया गया। उसके बाद नोहरे गोदाम के अंदर पड़े हुए सफेद प्लास्टिक के बोरों में भरा हुआ सामान वस्तु का मुंह खोलकर देखा, सुंघा व मौतबिरान को दिखाया, सुंघाया तो अफीम का डोडाचूरा होना बताया जिस हेतु इनके पास कोई वैध लाईसेंस अथवा अनुज्ञापत्र नहीं होना पाया गया, जिस पर इनका जुर्म धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट की खिलाफ वर्जी पाया जाने से उक्त डोडाचूरा को कब्जे पुलिस लिया गया। तत्पश्चात् साथ लाये इलेक्ट्रोनिक कांटे से उसने तौल किया तो सफेद प्लास्टिक के बोरा नं.1 का वजन 47 किलोग्राम, 2 का वजन 50 किलोग्राम, 3 का वजन 43 किलोग्राम, 4 का वजन 45 किलो 500 ग्राम, 5 का वजन 23 किलोग्राम, 6 का वजन 35 किलोग्राम, 7 का वजन 24 किलो 500 ग्राम, 8 का वजन 40 किलोग्राम, 9 का वजन 41 किलोग्राम, 10 का वजन 41 किलोग्राम, 11 का वजन 34 किलो 500 ग्राम, 12 का वजन 41 किलोग्राम, 13 का वजन 42 किलोग्राम, 14 का वजन 41 किलोग्राम, 15 का वजन 40 किलो 500 ग्राम, 16 का वजन 34 किलो 500 ग्राम, 17 का वजन 40 किलोग्राम, 18 का वजन 34 किलो 500 ग्राम, 19 का वजन 33 किलोग्राम, 20 का वजन 34 किलो 500 ग्राम, 21 का वजन 34 किलो 500 ग्राम, 22 का वजन 34 किलो 500 ग्राम, 23 का वजन 34 किलो 500 ग्राम, 24 का वजन 34 किलो 500 ग्राम, 25 का वजन 45 किलो 500 ग्राम, 26 का वजन 45 किलो 500 ग्राम, 27 का वजन 33 किलो 500 ग्राम, 28 का वजन 34

किलो 500 ग्राम, 29 का वजन 33 किलो 500 ग्राम, 30 का वजन 35 किलोग्राम, 31 का वजन 34 किलोग्राम, 32 का वजन 42 किलोग्राम, 33 का वजन 41 किलोग्राम, 34 का वजन 41 किलोग्राम, 35 का वजन 43 किलोग्राम, 36 का वजन 41 किलोग्राम, 37 का वजन 51 किलोग्राम, 38 का वजन 42 किलोग्राम, 39 का वजन 41 किलोग्राम, 40 का वजन 50 किलोग्राम, 41 का वनज 49 किलो 500 ग्राम, 42 का वजन 45 किलोग्राम, 43 का वजन 41 किलोग्राम, 44 का वजन 42 किलोग्राम, 45 का वजन 30 किलोग्राम, 46 का वजन 51 किलो 500 ग्राम, 47 का वजन 52 किलोग्राम, 48 का वजन 41 किलोग्राम, 49 का वजन 41 किलोग्राम, 50 का वजन 41 किलो 500 ग्राम, 51 का वजन 48 किलोग्राम, 52 का वजन 50 किलो 500 ग्राम, 53 का वजन 30 किलो 500 ग्राम, 54 का वजन 50 किलो 500 ग्राम, 55 का वजन 31 किलोग्राम, 56 का वजन 50 किलो 500 ग्राम, 57 का वजन 41 किलोग्राम, 58 का वजन 41 किलोग्राम, 59 का वजन 31 किलो 500 ग्राम, 60 का वजन 41 किलोग्राम, 61 का वजन 46 किलो 500 ग्राम, 62 का वजन 46 किलोग्राम, 63 का वजन 49 किलो 500 ग्राम, 64 का वजन 51 किलोग्राम, 65 का वजन 51 किलोग्राम, 66 का वजन 51 किलोग्राम, 67 का वजन 37 किलो 500 ग्राम, 68 का वजन 44 किलो 500 ग्राम, 69 का वजन 43 किलो 500 ग्राम, 70 का वजन 27 किलोग्राम, 71 का वजन 14 किलोग्राम हुआ। जिसमें से बोरा नं.61 का रंग कबुतरिया व बोरा नं.62, 63, 64, 65 का खाद का बोरा होकर हरा रंग था। बोरा नं.66 का रंग कबुतरिया होकर बोरा नंबर 67, 68, 69 कपड़े की साड़ी के बने हुए थे। बोरा नंबर 70, 71 सफेद कट्टे थे व बोरी नं.72 टाट की होकर वजन 21 किलोग्राम, बोरी नं.73 का वजन 22 किलोग्राम, बोरी नं.74 का वजन 21 किलोग्राम, बोरी नं.75 का वजन 21 किलोग्राम, बोरी नं.76 का वजन 20 किलो 500 ग्राम, बोरी नं.77 का वजन 19 किलो 500 ग्राम, बोरी नं.78 का वजन 21 किलो 500 ग्राम, बोरी नं.79 का वजन 14 किलो 500 ग्राम, बोरी नं.80 का वजन 6 किलोग्राम, बोरी नं.81 का वजन 22 किलोग्राम, बोरी नं.82 का वजन 20 किलो 500 ग्राम, बोरी नं.83 का वजन 17 किलोग्राम, बोरी नं.84 का वजन 17 किलो 500 ग्राम, बोरी नं.85 का वजन 22 किलोग्राम, बोरी नं.86 का वजन 21 किलोग्राम, बोरी नं.87 का वजन 24 किलोग्राम, बोरी नं.88 का वजन 18 किलो 500 ग्राम, बोरी नं.89 का वजन 21

किलोग्राम, बोरी नं.90 का वजन 18 किलोग्राम, बोरी नं.91 का वजन 21 किलोग्राम, बोरी नं.92 का वजन 21 किलोग्राम, बोरी नं.93 का वजन 20 किलोग्राम मय बारदान के हुआ। सीरियल नंबर 72 से लगाकर 93 तक टाट की बोरियां है। सीरियल नंबर 94 कट्टा हल्दी कलर का होकर डोडाचूरा 9 किलोग्राम व कट्टा नं.95 हल्दी कलर होकर डोडाचूरा 9 किलोग्राम हुआ। इन 95 बोरों, कट्टों, साड़ी के बोरों व टाट की बोरियों में भरा डोडाचूरा का कुल वजन 33 क्विंटल 27 किलो 500 ग्राम हुआ।

03. तत्पश्चात् नंदलाल के नोहरे के दूसरे कोने में पड़े हुए डोडाचूरा के बोरों को चैक किया तो बोरा नं.1 सफेद प्लास्टिक का बोरा हो बोरे मूलचंद पिता मथरा लिखा होकर वजन 44 किलोग्राम हुआ, बोरा नं.2 का तौल करने पर 42 किलो 500 ग्राम, बोरा नं.3 का वजन 42 किलोग्राम, बोरा नं.4 का वजन 42 किलो 500 ग्राम हुआ। उक्त चारों बोरों पर नाम मूलचंद पिता मथरा लिखा था। बोरा नं.5 का वजन 40 किलो 500 ग्राम, बोरा नं.6 का वजन 40 किलो 500 ग्राम, बोरा नं.7 का वजन 41 किलोग्राम होकर तीनों बोरों पर किशनलाल पिता भंवरलाल लिखा था। बोरा नं.8 का वजन 41 किलोग्राम, बोरा नं.9 का वजन 41 किलोग्राम होकर बोरों पर भंवरलाल पिता होकमा लिखा हुआ था। बोरा नं.10 का वजन 32 किलो 500 ग्राम, बोरा नं.11 का वजन 31 किलो 500 ग्राम हुआ व दोनों बोरों पर नाम घीसीबाई–दिनेश लिखा हुआ था। बोरा नं.12 का वजन 40 किलो 500 ग्राम, छोटा कट्टा नं.13 का वजन 6 किलो 500 ग्राम हुआ व उक्त बोरे व कट्टे पर शोकिन लिखा हुआ था। कट्टा नं.14 का वजन 3 किलोग्राम होकर कट्टे पर भंवरलाल पिता हुकमा लिखा हुआ था। बोरा नं.15 का वजन 36 किलोग्राम, बोरा नं.16 का वजन 25 किलो 500 ग्राम, बोरा नं.17 का वजन 19 किलो 500 ग्राम होकर उक्त तीनों बोरों पर कन्हैयालाल पिता हरिकिशन लिखा था। बोरा नं.18 का वजन 38 किलो 500 ग्राम, बोरा नं.19 का वजन 32 किलोग्राम, बोरा नं.20 का वजन 34 किलो, बोरा नं.21 का वजन 34 किलोग्राम होकर उक्त चारों बोरों पर नाम कैलाशचन्द्र लिखा था। बोरा नं.22 का वजन 41 किलो 500 ग्राम, बोरा नं.23 का वजन 41 किलो 500 ग्राम, बोरा नं.24 का वजन 41 किलो 500 ग्राम होकर उक्त तीनों बोरों पर शांतिलाल पिता भंवरलाल लिखा था। बोरा नं.25 का वजन 43 किलोग्राम, बोरा नं.26 का वजन 37 किलोग्राम,

बोरा नं.27 का वजन 39 किलो 500 ग्राम होकर उक्त तीनों बोरों पर नानालाल पिता गोगा लिखा हुआ था। बोरा नं.28 का वजन 42 किलो 500 ग्राम, बोरा नं. 29 का वजन 45 किलो 500 ग्राम, कट्टा नं.30 का वजन 13 किलोग्राम, कट्टा नं.31 का वजन 9 किलोग्राम होकर उक्त चारों पर छगनलाल लिखा हुआ था। बोरा नं.32 का वजन 40 किलो 500 ग्राम, बोरा नं.33 का वजन 32 किलोग्राम, बोरा नं.34 का वजन 38 किलो 500 ग्राम होकर उक्त तीनों बोरों पर नानालाल पिता काशीराम बेणीपुरिया लिखा हुआ था। बोरा नं.35 का वजन 38 किलोग्राम, बोरा नं.36 का वजन 41 किलोग्राम, बोरा नं.37 का वजन 34 किलो 500 ग्राम, बोरा नं.38 का वजन 39 किलोग्राम, बोरा नं.39 का वजन 40 किलोग्राम, बोरा नं. 40 का वजन 36 किलो 500 ग्राम होकर उक्त छह ही बोरों पर प्यारचंद सेमलिया लिखा होकर बोरे प्लास्टिक के होकर नीले रंग के थे। **इन 40 ही बोरों व कट्टों पर कुल वजन जिन काश्तकारों के नाम लिखे हुए थे, का वजन 14 क्विंटल 7 किलो 500 ग्राम** हुआ। इस प्रकार पहले के 95 बोरों, कट्टों, टाट की बोरियों व कपड़े की बोरों का कुल वजन 33 क्विंटल 27 किलो 500 ग्राम, 40 बोरों व कट्टों का कुल वजन 14 क्विंटल 7 किलो 500 ग्राम हुआ। इस प्रकार कुल 135 बोरों व कट्टों का कुल वजन बारदानों सहित 47 क्विंटल 35 किलोग्राम हुआ जिसके लाईसेंस, परमिट व वैध कागजात के बारें में उसके द्वारा पूछने पर उक्त तीनों व्यक्तियों नंदलाल, सोनु उर्फ सादे खां व नरेश कुमार के पास नहीं होना पाया गया जिस पर उक्त डोडाचूरा अपने कब्जे में अवैध रूप से तस्करी करने के लिये व तस्करों को बेचने के लिये रखना जुर्म धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के खिलाफ वर्जी करना पाया जाने से मौके पर जरिये फर्द उक्त कुल 135 बोरों मय डोडाचूरा के जब्त किया गया तथा प्रत्येक बोरे में से रसायनिक परीक्षण हेतु 100—100 ग्राम डोडाचूरा निकाला गया जो कुल 13 किलो 500 ग्राम हुआ जिसको एक खाली तिरपाल पर खाली करके आपस में मिलाया जाकर उसमें से 500 ग्राम नमूना सेम्पल व 500 ग्राम कन्ट्रोल सेम्पल अलग—अलग दो कपड़े की थैलियों में निकालकर थैलियों का मुंह धागे से बांधकर सीलचिट चस्पा कर नमूना सेम्पल को मार्क बी तथा कन्ट्रोल सेम्पल को मार्क सी दिया गया व नमूना कन्ट्रोल सेम्पल निकालने के पश्चात् शेष बचा 12 किलो 500 ग्राम डोडाचूरा को एक प्लास्टिक के कट्टे में भरकर मुंह

सिलकर सीलचिट चस्पा कर मार्क बी दिया गया तथा प्रथम मिले नं.1 से 95 तक के बोरों कट्टों व टाट की बोरियों व साड़ी की बोरियों को पुनः सील की सीलचिट चस्पा कर नं.1 से 95 तक अंकित किया व दूसरी बार में मिले सीरियल नं.1 से 40 तक के बोरों व कट्टों पर नाम अंकित थे। उक्त जब्तशुदा डोडाचूरा कहां से लाने संबंधी नंदलाल, सोनु उर्फ सादे खां व नरेश कुमार से पूछने पर इन तीनों ने राजु पिता बद्रीलाल धाकड निवासी कनेरा व विक्रम से खरीदना बताया, वगैरा। बाद तफतीश अभियुक्तगण नंदलाल, सोनु उर्फ सादे खां व नरेश कुमार के विरूद्व धारा 8/15 अधिनियम के अन्तर्गत पूर्ण चार्जशीट दिनांक 28.11.2015 को न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश, एनडीपीएस प्रकरण, संख्या 01 चित्तौड़गढ़ में प्रस्तुत किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश से यह सेशन प्रकरण विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस प्रकरण संख्या–1, चित्तौड़गढ़ से दिनांक 30.10.2017 को मुन्तकिल होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

04. दिनांक 08.02.2016 को बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्तगण नंदलाल, सोनु उर्फ सादे खां व नरेश कुमार को जुर्म धारा 8/15 अधिनियम का आरोप पृथक–पृथक से विरचित कर सुनाये, समझाये गये तो उन्होनें आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

05. अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू 01 नंद लाल, पी.डब्ल्यू 02 जय सिंह, पी.डब्ल्यू 03 बदगीराम, पी.डब्ल्यू 04 शंभु लाल, पी.डब्ल्यू 05 दिलीप, पी.डब्ल्यू 06 उस्मानगनी, पी.डब्ल्यू 07 गोपाल सिंह, पी.डब्ल्यू 08 राजेन्द्र कुमार, पी.डब्ल्यू 09 दिनेश, पी.डब्ल्यू 10 संजय सगीत्रा, पी.डब्ल्यू 11 हवा सिंह, पी. डब्ल्यू 12 किशन लाल, पी.डब्ल्यू 13 भोरी लाल, पी.डब्ल्यू 14 मांगी लाल, पी.डब्ल्यू 15 रतन लाल, पी.डब्ल्यू 16 बाघ सिंह, पी.डब्ल्यू 17 झाबर मल, पी. डब्ल्यू 18 भंवर सिंह, पी.डब्ल्यू 19 प्रीति, पी.डब्ल्यू 20 विनोद कुमार, पी.डब्ल्यू 21 भवानी सिंह, पी.डब्ल्यू 22 रामनिवास के बयान लेखबद्ध करवाये गये।

06. अभियोजन पक्ष की ओर से निम्न दस्तावेजात को प्रदर्शित कराया गयाः–

1. प्रदर्श पी.1 फर्द जब्ती डोडाचूरा
2. प्रदर्श पी.2 फर्द धारा 57 अधिनियम

3. प्रदर्श पी.3 फर्द धारा 55 अधिनियम
4. प्रदर्श पी.4 नक्शामौका
5. प्रदर्श पी.5 मुचलका
6. प्रदर्श पी.6 अग्रेषण पत्र
7. प्रदर्श पी.7 पत्र डोडाचूरा परमिट बाबत्
8. प्रदर्श पी.7ए रजिस्टर प्रति
9. प्रदर्श पी.8 फर्द तस्दीक मौका मकान
10. प्रदर्श पी.9 फर्द सूचना धारा 42 अधिनियम
11. प्रदर्श पी.10 प्राप्ति रसदी
12. प्रदर्श पी.11 फर्द नोटिस मौतबिर
13. प्रदर्श पी.12 लगायत प्रदर्श पी.14 फर्द नोटिस धारा 50 अधिनियम
14. प्रदर्श पी.15 फर्द नमूना सील
15. प्रदर्श पी.16 लगायत प्रदर्श पी.18 फर्द नोटिस धारा 52 अधिनियम
16. प्रदर्श पी.19 लगायत प्रदर्श पी.21 फर्द गिरफ्तारी अभियुक्तगण
17. प्रदर्श पी.23 पत्र रिकार्ड उपलब्ध कराने थाना बिजयपुर
18. प्रदर्श पी.24 लगायत प्रदर्श पी.59 कृषक द्वारा घोषणापत्र
19. प्रदर्श पी.60 फर्द नोटिस मौतबिर
20. प्रदर्श पी.61 बयान रतनलाल
21. प्रदर्श पी.62ए रोजनामचा प्रति
22. प्रदर्श पी.63ए रोजनामचा आम
23. प्रदर्श पी.64 नोटिस नंदलाल
24. प्रदर्श पी.65 एफएसएल परीक्षण हेतु पत्र थाना कनेरा
25. प्रदर्श पी.66 स्पेशीमेन एवं नमूना हस्ताक्षर सील
26. प्रदर्श पी.67 डिस्पेच रजिस्टर प्रति
27. प्रदर्श पी.69 प्रथम सूचना रिपोर्ट
28. प्रदर्श पी.70 पर्चाकायमी
29. प्रदर्श पी.71 धारा 52 ए की कार्यवाही रिपोर्ट द्वारा थाना कनेरा का पत्र
30. प्रदर्श पी.73 लगायत प्रदर्श पी.77 धारा 52ए कार्यवाही के फोटोग्राफ
31. प्रदर्श पी.78 फर्द धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना अभियुक्त नंदलाल
32. प्रदर्श पी.79 फर्द धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना अभियुक्त सोनु
33. प्रदर्श पी.80 फर्द धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना अभियुक्त नरेश कुमार
34. प्रदर्श पी.81 फर्द धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना अभियुक्त नंदलाल

35. प्रदर्श पी.82 फर्द धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना अभियुक्त सोनु
36. प्रदर्श पी.83 फर्द धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना अभियुक्त नरेश कुमार
37. प्रदर्श पी.84 फर्द ग्राम पंचायत सरसी का जवाब
38. प्रदर्श पी.85 फर्द एफएसएल रिपोर्ट
39. प्रदर्श पी.87 पुलिस थाना सदर का पत्र दिनांकित 25.11.2015
40. प्रदर्श पी.88 फर्द जिला अफीम अधिकारी चित्तौड़गढ़ का पत्र
41. प्रदर्श पी.89 फर्द केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की विज्ञप्ति
42. प्रदर्श पी.90 मुखिया बनाने के संबंधी पत्र
43. प्रदर्श पी.91 फर्द अफीम लम्बरदार मुखिया का नियुक्ति पत्र
44. प्रदर्श पी.92 फर्द लम्बरदार का पहचान पत्र
45. प्रदर्श पी.93 फर्द नारकोटिक्स विभाग की विज्ञप्ति
46. प्रदर्श पी.94 फर्द अफीम लम्बरदार मुखिया का नियुक्ति पत्र
47. प्रदर्श पी.95 फर्द ग्राम बेणीपुरिया कृषकों की सूची
48. प्रदर्श पी.96 लाईसेंस हेतु वांछित दस्तावेज की फर्द

07. अभियुक्तगण के विरूद्व साक्ष्य से उत्पन्न होने वाली विपरीत परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के लिये **धारा 313 दण्ड प्रकिया संहिता** के तहत **अभियुक्त नंद लाल** को **दिनांक 05.07.2024** को परीक्षित किया गया। जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया तथा कथन किया कि उसका कोई डोडाचूरा नहीं है। ठेकेदार द्वारा परमिटशुदा पट्टेदार काश्तकारों का डोडाचूरा था। इस डोडे चुरे से उसका कोई संबंध नहीं था। उसे गलत फंसाया गया है, वे निर्दोष है तथा साक्ष्य सफाई पेश किया जाना जाहिर किया।

08. अभियुक्तगण के विरूद्व साक्ष्य से उत्पन्न होने वाली विपरीत परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के लिये **धारा 313 दण्ड प्रकिया संहिता** के तहत **अभियुक्त नरेश** को **दिनांक 05.07.2024** को परीक्षित किया गया। जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया तथा कथन किया कि वह निर्दोष है उसे झूंठा फंसाया गया है तथा साक्ष्य सफाई पेश किया जाना जाहिर किया।

09. अभियुक्तगण के विरूद्व साक्ष्य से उत्पन्न होने वाली विपरीत परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के लिये **धारा 313 दण्ड प्रकिया संहिता** के तहत

अभियुक्त सोनु को दिनांक 09.07.2024 को परीक्षित किया गया। जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया तथा कथन किया कि पट्टेधारी, लाईसेंसधारी काश्तकारों का डोडाचूरा था। उसे लाईसेंसधारी ठेकेदार ने लिया था। उसका उससे कोई संबंध नहीं है तथा साक्ष्य सफाई पेश किया जाना जाहिर किया।

10. साक्ष्य सफाई में गवाह डी.डब्ल्यु 01 मूल चंद व डी.डब्ल्यु 02 राम लाल के बयान लेखबद्ध करवाये गये। दौराने विचारण दस्तावेजी साक्ष्य में संग्रहण के लिए राजस्थान शासन जिला आबकारी का पत्र थानाधिकारी को उसके द्वारा जारी किया, जो प्रदर्श डी 01, राजस्थान सरकार वित्तीय आबकारी विभाग द्वारा जारी किया गया पत्र प्रदर्श डी 02, सत्य प्रतिलिपि फॉर्म नं0 07 प्रदर्श डी 03, फार्म प्रदर्श डी 04, नतीजा पेश किया जो प्रदर्श डी 05, उसके द्वारा पेश 169 दं0प्र0सं0 की रिपोर्ट प्रदर्श डी 06 पेश कर प्रदर्शित करवाये गये तथा बचाव दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डी. 41 लगायत प्रदर्श डी. 77 प्रदर्शित करवाये गये।

11. बहस अंतिम सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में अभियुक्त नंद लाल के विरूद्व विचारणीय बिन्दु यह है कि :—

01. क्या दिनांक 01.06.2015 को समय 2.30 पीएम या उसके लगभग मौजा बेणीपुरिया में अभियुक्त नंदलाल धाकड़ के निर्माणाधीन नोहरे गोदाम की विधिनुसार तलाशी के दौरान बाघसिंह एसएचओ पुलिस थाना कनेरा मय जाब्ता ने वहां पर अभियुक्तगण नंद लाल, सोनू उर्फ सादे खॉ तथा नरेश द्वारा रखा कुल 135 बोरों व कट्टों में से बारदान सहित **कुल 47 क्विंटल 35 किलो अवैध अफीम डोडाचूरा** बरामद किया जिसे रखने व परिवहन करने का अभियुक्तगण के पास कोई अनुज्ञापत्र नहीं था। एतद् द्वारा **अभियुक्त नंद लाल, सोनू उर्फ सादे खॉ तथा नरेश ने धारा 8/15 अधिनियम** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया।

02. यदि हां तो अभियुक्तगण को किस दण्ड से दण्डित किया जावे ?

12. विद्वान विशेष लोक अभियोजक का तर्क है कि अभियुक्तगण नंद लाल, सोनू उर्फ सादे खॉ तथा नरेश के विरूद्व ठोस व प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है, अतः उन्हें दोषसिद्व किया जाकर कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे।

13. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से तर्क रहा है कि प्रकरण में अभियुक्तगण को झॅूठा फंसाये गये है। अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। अभियुक्त नंद लाल ने प्रकरण में लाईसैंसधारी पट्टा धारकों के वैध डोडाचूरा को ठेकेदार रहे विनोद के निर्देशन में उसके मजदूर रहे सोनू उर्फ सादे खॉ तथा नरेश कुमार के इक्कठा किया है, इस संबंध में गवाह विनोद ने प्रकरण में बरामदशुदा अवैध अफीम डोडाचूरा स्वयं का होना बताया है। उनका तर्क है कि हस्तगत प्रकरण में तथाकथित विनोद जिसे वर्ष 2015—16 के लिए थोक डोडा पोस्त हेतु अनुज्ञा पत्र जारी किया गया है, को अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में अभियुक्त नहीं बनाया गया है। उनका तर्क है कि हस्तगत प्रकरण में विनोद के निर्देशन में अफीम पट्टेधारियों द्वारा पट्टे का डोडाचूरा इक्कठा करने के लिए गॉव के मुखिया नंद लाल व उसमें सहयोग करने वाले मजदूरों, हेल्परों को प्रकरण में मिथ्या लिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रकरण में धारा 42 व धारा 50 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। उनका तर्क है कि प्रकरण में बरमादशुदा मुद्दा माल को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही प्रकरण में धारा 52 ए की कार्यवाही में निकाले गये प्रतिनिधि सेम्पल को भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनका तर्क है कि प्रकरण में धारा 52 ए की कार्यवाही भी विधिनुसार सम्पादित नहीं की गई है। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में नोटिफिकेशन 1/88 के अनुसार पालना नहीं की गई है एवं बरामदशुदा अफीम डोडाचूरा के कट्टों में से प्रत्येक में से दो—दो सेम्पल नहीं लिये गये है। प्रतिनिधि सेम्पल पेश नहीं हुए है। प्रकरण में संपूर्ण मुद्दा माल न्यायालय में पेश नहीं हुआ है मात्र सेम्पल पेश हुए है। प्रकरण के स्वतन्त्र गवाहान ने अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं की है। उनका मुख्य रूप से यह भी तर्क रहा है कि प्रकरण में बरामदशुदा डोडाचूरा ठेकेदार को तौल करवाने हेतु सुरक्षा की दृष्टि से मुखिया नंद लाल के यहॉ विनोद ठेकेदार के मजदूर रहे सोनू उर्फ सादे खॉ तथा नरेश कुमार द्वारा इक्कठा किया गया था तथा अवैध तरीके से तस्करी करके नहीं लाया जाया

पाने से अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित अपराध को प्रमाणित नहीं मानकर उनकी ओर से धारा 169 सीआरपीसी के तहत अभियुक्तगण की रिहाई हेतु आवेदन पेश किया गया है। अतः अभियुक्तगण नंद लाल, सोनू उर्फ सादे खॉ तथा नरेश कुमार पर आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जावे।

14. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित अपराध को साबित करने के लिए कुल 22 गवाहान को पेश किया है जिसमें **जब्ती अधिकारी गवाह पी.डब्ल्यू16 बाघसिंह** अपने सशपथ बयानों में कथन करता है कि वह दि.01.06.2015 को थानाधिकारी कनेरा के पद पर पदस्थापित था, उस दिन समय 12.25 पीएम पर जरिये मुखबीर की सूचना मिली की वेणीपुरिया गांव मे नंदलाल धाकड के नोहरे में तस्करी हेतु अफीम डोडाचूरा भारी मात्रा मे अवैध रूप से एकत्रित कर रखा है, अगर तुंरन्त तलाशी नहीं की गयी तो माल खुर्दबुर्द या ट्कों में भरकर ले जायेंगे। मुखबीर की सूचना विश्वनीय होने से रोजनामचा आम में रपट मुखबीर सूचना की नियमानुसार अंकित की गयी एवं मुखबीर की सूचना प्रथक से मुर्तिब कर अपने नियंत्रण अधिकारी श्रीमान एसपी साहब, एड. एसपी साहब को व सीओ साहब को देने कानि. हवासिंह के साथ चित्तौड़गढ़ निम्बाहेडा के लिये रवाना किया, तलाशी वारंट प्राप्त करने में समय लगने से माल खुर्दबुर्द होने की संभावना से व तुंरत मौके पर जाना आवश्यक होने से वारंट प्राप्त नहीं कर सका। उसके बाद समय 12.35 पीएम पर थाने से वह मय जाब्ता नंदलाल एएसआई, दलपत एएसआई, गोपालसिंह हैड कानि एवं शम्भूलाल, झाबरमल, बगदीराम, मीठूसिह, मय सरकारी जीप व चालक सियाराम के एवं थाने से अनुसंधान सामग्री सील चपडी सूई धागा, इलेक्ट्रोनिक कांटा लेपटोप आदि साथ लेकर समय 12.55 पीएम पर वेणीपुरिया चौराहे पर पहुंचा। वहां पर राहगीर मोतबीर रतनलाल व किशन लाल को तलब कर नोटिस देकर मुखबीर की जानकारी से अवगत कराया व मोतबीर बनने हेतु नोटिस पर सहमति लिखित प्राप्त की उसके बाद वहां से रवाना हो मय जाप्ता व मौतबीरान के वेणीपुरिया गावं में स्थित नंदलाल धाकड के नोहरे पर पहुंचे व नोहरे के बडा लोहे का गेट लगा होकर अंदर से बंद था। इसपर आवाज देकर लोहे के दरवाजे को खुलवाया व सभी गोदाम के अंदर गये तो तीन व्यक्ति खाट पर बैठे

हुये नजर आये जो हमे देखकर एकदम भागने लगे जिनको पकडे तथा नामपता पूछा तो एक ने अपना नाम नंदलाल पिता जगन्नाथ धाकड निवासी वेणीपुरिया व दूसरे ने अपना नाम सोनू उर्फ साधे खॉन पिता बद्री खॉन निवासी टी.बी. व तीसरे अपना नाम नरेश पिता सोहनलाल मेघवाल निवासी टी.बी. जिला हनुमानगढ होना बताया, उक्त तीनो को मुखबीर की सूचना के बारे मे बताकर बताया कि उनके गोदाम में व उनके कब्जे में अवैध रूप से काफी मात्रा मे डोडाचूरा है। जिसमे उनकी व उनके नोहरे की तलाशी लेना है, जिन्हे पृथक–पृथक नोटिस देकर बताया कि अगर वे अपनी व अपने नोहरे की तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट से लिवाना चाहते हो तो उन्हे बुलाने की व्यवस्था की जा सकती है या उससे भी तलाशी उनकी व उनके की लिवाना चाहते हो तो सहमति देवें। इसपर उक्त तीनो ने पृथक–पृथक नोटिसों पर उसी से तलाशी लेने की सहमति लिखित में दी। उसके पश्चात उसने मौतबीरानो से स्वयं की व मौतबिरान की तलाशी परस्पर लिवायी इसके पश्चात उसने मौतबीरान के सम्मुख नंदलाल धाकड की तलाशी ली तो उसके शर्ट की जेब से एक मोबाईल माईक्रोमेक्श कंपनी का तथा 340 रूपये व एक जेब में जो नोटिस दिया वह मिला। इसके बाद सोनू उर्फ साधे खां की तलाशी ली गयी तो उसकी जेब से माईक्रोमेक्स कंपनी का एक मोबाईल व जेब से नोटिस मिला व तीसरे नरेश कुमार की जेब से जीओनी कंपनी का मोबाईल व 120 रूपये तथा एक नोटिस मिला। उक्त तीनो मोबाईल व रूपयो को एक सफैद कपडे की थैली मे रख थैली को सीलचिटबंद कर मार्क ए अंकित किया, नोटिसों को शामिल पत्रावली किये, उसके बाद गोदाम के अंदर रखे हुये बोरो के मुह खोलकर देखा तो डोडाचूरा पाया गया इस पर उक्त तीनो व्यक्तियो ने भी प्लास्टिक, टांट के साडियों के बोरो मे अफीम डोडाचूरा भरा होना बताया। इसपर नंदलाल, सोनू उर्फ साधेखां व नरेश कुमार को अफीम डोडाचूरा अपने कब्जे मे रखने व परिवहन करने के लाईसेस या वैध कागजात या गोदाम किराये देने संबंधित कागजात के बारे मे पूछा तो उक्त तीनो ने डोडाचूरा संबंधी लाईसेंस अनुज्ञा पत्र नहीं होना बताया। उक्त तीनो व्यक्तियेा द्वारा अवैध रूप से अफीम डोडाचूरा अपने कब्जे मे रखना धारा 8 / 15 एनडीपीएस एक्ट का अपराध पाया इसपर उक्त अफीम डोडाचूरा के कटटों बोरो को कब्जे मे लिये जाकर साथ लाये

इलेक्ट्रीक कांटे से तोल किया तो कुल 135 बोरे होकर कुल वजन 47 क्विंटल 35 किलो मय बारदान के पाया गया। इनमे से 01 से लगायत 95 तक बोरों पर नाम पते लिखे हुये नही थे, तथा 01 से 95 तक के बोरों का कुल वजन 33 क्विंटल 27 किलो 500 ग्राम था। इसके पश्चात बोरा नंम्बर 01 से 40 तक होकर इन बोरो पर नाम लिखे हुये थे। इनका वजन 14 क्विंटल 7 किलो 500 ग्राम मय बारदान के पाया गया। इस प्रकार कुल 135 बोरे हो कुल 47 क्विंटल 35 किलो बारदान के पाया। बोरो पर बिना नाम लिखे हुये पर सिरियल नंम्बर 01 से 95 तक व नाम लिखे हुये बोरो पर 01 से 40 तक अंकित किया। उक्त अफीम डोडाचूरा अवैध रूप से होने से जरिये फर्द जप्त कर उक्त प्रत्येक बोरे मे से 100–100 ग्राम नमूना सेपल के लिये अलग–अलग निकाला गया, जो कुल 13 किलो 500 ग्राम हुआ, निकाले गये डोडाचूरा को एक तिरपाल पर मिश्रित किया उसमे से 500 ग्राम नमूना सेपल व 500 ग्राम कंट्रोल सेपल अलग निकाला जाकर दोनो सेपलो को सीलचिटबंद कर मार्क बी व सी दिया गया तथा शेष बचे 12 किलो 500 ग्राम डोडाचूरा को एक कट्टे में रख कर मार्क डी दिया गया। जप्तशुदा अफीम डोडाचूरा के बोरो को सीलचिट बंद कर बोरो को सिरियल नम्बर अंकित किये। गोदाम में दिवाल की खूंटी मे एक थैला लटका हुआ मिला जिसके अंदर तलाशी ली तो एक काले रंग का कैलकुलेटर चालू हालात में पाया गया व दो वॉल पैन व तीन डायरियां व सी फार्म किसानो द्वारा घोषणा पत्र के मिले तथा डायरियो के पन्नो को चेक किया तो नंदलाल द्वारा राजू कनेरा विक्रम आदि से माल खरीदने का तोल व रूपयो का हिसाब किया हुआ था। सी फार्म में तारीख व माल की मात्रा व किसानो के हस्ताक्षर नही थे। मोके पर उसने उक्त तीनो व्यक्तियों को कार्यवाही के दौरान पूछा की अफीम डोडाचूरा कहां से लाये व कहां से खरीदा तो कहा कि राजू धाकड निवासी कनेरा व विक्रम से यह माल खरीदा है। थैले में मिले कैलकुलेटर, वॉल पैन, व डायरियां व सी फार्म उसी थैले में रहने दिया जाकर सीलचिट कर मार्क ई दिया गया अंकित किया। मौके पर माल तौलने का इलेक्ट्रोनिक कांटा गोदाम मे था जिसको चिटचस्पा कर मार्क एफ दिया गया। नंदलाल, सोनू उर्फ साधे खां व नरेश कुमार के द्वारा अवैध रूप से अफीम डोडाचूरा तस्करी करने के लिये व तस्करो को भेजने के लिये एकत्रित कर अपने गोदाम में अपने कब्जे मे रखने से

धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट का अपराध होने से उक्त तीनो नंदलाल, सोनू उर्फ साधे खां व नरेश कुमार को जरिये नोटिस गिरप्तारी के कारणो से अलग अलग नोटिस से सूचित कराया एवं मौके पर उक्त तीनो नंदलाल, सोनू, नरेश कुमार को नियमानुसार गिरप्तार किया। मौके पर फर्दजप्ती, नमूनासील, आवश्यक फर्दात मुरतीब की। मौके पर ही संपूर्ण लिखापढ़ी कर फर्दात तेयार की गयी। मौके पर पर्चाकायमी की गयी। उसके बाद मौके पर जप्तशुदा अफीम डोडाचूरा के बोरे, जप्तशुदा आर्टिकल्स एवं गिरफतारशुदा उक्त तीनों अभियुक्तगण को लेकर थाना हाजा पर वापस आया। प्रकरण संख्या 35/15 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना कनेरा पर दर्ज किया गया। अनुसंधान उच्चाधिकारीयों के आदेशानुसार भंवरसिंह थानाधिकारी विजयपुर के जिम्मे किया गया एवं प्रकरण में जप्तशुदा माल व आर्टिकल्स को चिटसीलबंद हालत में एचएम मालखाना को संभलाकर फर्द मुरतीब की गयी। मुलजिमान को दाखिल हवालात किया गया। घटना के रोज 05:00 पीएम पर आबकारी विभाग चित्तौड़गढ़ द्वारा मुलजिमान के नाम अफीम डोडाचूरा एकत्रित करने, क्रय करने या परिवहन करने का कोई पार पत्र जारी किया हुआ नहीं था। नंदलाल के गोदाम में माल एकत्रित करने का भी कोई पार पत्र नहीं था। प्रकरण में जप्तशुदा अफीम डोडाचूरा के माल की दिनांक 21.05.2016 को कार्यापालक मजिस्ट्रेट निम्बाहेड़ा द्वारा थाने पर आकर धारा 52ए की कार्यवाही नियमानुसार संपादित की गयी। जिन्होंने उसकी उपस्थिति में माल का वजन कर फोटोग्राफी करवायी गयी थी। धारा 52ए की कार्यवाही उसकी उपस्थिति में ही की गयी थी। मुखबीर की सूचना की रोजनामचाआम में डाली गयी रपट प्रदर्श पी 62 एवं फोटोप्रति शामिल पत्रावली प्रदर्श पी 62ए, थाने से रवानगी की रोजनामचाआम रपट प्रदर्श पी 63 एवं शामिल पत्रावली प्रदर्श पी 63ए, धारा 42 की सूचना पुलिस उच्चाधिकारीयों को भिजवायी गयी जो प्रदर्श पी 09, मौतबिर बनने का नोटिस किशनलाल को दिया जो प्रदर्श पी 11, मोतबीर बनने के लिए रतनलाल को नोटिस दिया जो प्रदर्श पी 60, मुलजिमान नंदलाल को धारा 50 का नोटिस दिया जो प्रदर्श पी 12, मुलजिमान सोनू को धारा 50 का नोटिस दिया जो प्रदर्श पी 13, मुलजिमान नरेश कुमार को धारा 50 का नोटिस दिया जो प्रदर्श पी 14, जप्ती डोडाचूरा प्रदर्श पी 01, फर्द नमूना सील प्रदर्श पी 15, मुलजिमान को धारा 52 का नोटिस

दिया जो प्रदर्श पी 16, 17 और 18, मुलजिमान की गिरफतारी प्रदर्श पी 19, 20 और 21, धारा 55 की फर्द प्रदर्श पी 03, घटनास्थल का नक्शामौका उसकी निशानदेही से अनुसंधान अधिकारी ने बनाया जो प्रदर्श पी 04, नोहरे की तलाशी लेने से पूर्व मुलजिमान को लाईसेंस के बारें में लिखित रूप में नोटिस दिया एवं गोदाम किराये होने की लिखापढ़ी पेश करने बाबत् दिया जो प्रदर्श पी 64, एफएसएल लेटर बनाकर दिया जो प्रदर्श पी 65, फर्द नमूना सील एवं स्पेशीमेन प्रदर्श पी 66, धारा 57 की सूचना प्रदर्श पी 02, धारा 42 की सूचना का डिस्पेच रजिस्टर प्रदर्श पी 67 एवं शामिल पत्रावली 67ए, धारा 57 की सूचना का डिस्पेच रजिस्टर प्रदर्श पी 68 है एवं शामिल पत्रावली प्रदर्श पी 68ए, एफआईआर प्रदर्श पी 69, पर्चाकायमी प्रदर्श पी 70, धारा 52ए की कार्यवाही प्रदर्श पी 71, धारा 52ए की कार्यवाही के फोटोग्राफस प्रदर्श पी 72 से लगायत प्रदर्श पी. 77 है। प्रकरण का नमूना सेंपल मार्क बी आर्टिकल 01, कन्ट्रोल सेंपल मार्क ए आर्टिकल 02, जामा तलाशी में मिले सामान आर्टिकल 03, नोहरे पर मिले बॉल पेन एवं केलकुलेंटर आर्टिकल 04 होकर उक्त सभी अभियोजन फर्द व आर्टिकल पर ए से बी उसके व सी से डी व ई से एफ मुल्जिमान के हस्ताक्षर व जी से एच व आई से मौतबिरान के हस्ताक्षर है।

गवाहान पी.डब्ल्यू 01 नंदलाल, पी.डब्ल्यू 03 बगदीराम, पी.डब्ल्यू 04 शंभु लाल, पी.डब्ल्यू 07 गोपालसिंह ने जब्ती अधिकारी पी.डब्ल्यू 16 बाघसिंह के कथनों को ही दोहराते हुए उसकी ताईद करते हुए साक्ष्य दी है कि उक्त दिनांक को एसएचओ बाघसिंह को जरिये मुखबीर सूचना मिली की बेणीपुरिया गांव में नंदलाल के मकान पर डोडाचूरा रखा हुआ है। उक्त सूचना से एसएचओ ने उन्हें अवगत कराया व मय जाब्ता के थाने से 12.30 बजे रवाना होकर बेणीपुरिया गांव में लगभग एक बजे पहुंचे व बस स्टेण्ड पर पहुंच मौतबिरान को नोटिस देकर उन्हें साथ लेकर नंदलाल के गोदाम पर पहुंचे, गोदाम का किवाड बंद था, आवाज देकर गोदाम का दरवाजा खुलवाया। पुलिस जाब्ते को देखकर वो भागने लगे तो तीनों आदमी को घेरा देकर के रोका व तसल्ली देकर नाम पता पूछा तो एक ने नंदलाल धाकड़ निवासी बेणीपुरिया, दो आदमी हनुमानगढ़ जिले के टीबी जिले के जिसमें एक मुसलमान व एक मेघवाल था। हाजिर अदालत मुल्जिमान को देखकर गवाह नंदलाल ने पहचाना। उक्त

तीनों व्यक्तियों को नियमानुसार धारा 50 का नोटिस देकर तलाशी ली गयी। गोदाम में अलग–अलग जगह दो बोरे पड़े मिले जिन्हें मौतबिरान के समक्ष बोरों को खोलकर देखा, मौतबिरान को दिखाया, सुंघाया व जाप्ते ने भी चखा व सुंघा तो उसमें अफीम डोडाचूरा होना पाया गया। उक्त कुल 135 बोरे थे जिनका कुल वजन किया गया तो 47 क्विंटल 35 किलोग्राम हुआ। उनमें से सौ–सौ ग्राम के कन्ट्रोल सेम्पल व नमूना सेम्पल निकालकर सेम्पलों को मौके पर सफेद कपड़े की थैली में मौतबिरान के सामने सीलचिट करके मार्क अंकित किये गये। फर्द जब्ती प्रदर्श पी.1, धारा 55 एनडीपीएस एक्ट की फर्द प्रदर्श पी.3 पर गवाहान ने अपने हस्ताक्षर होना बताया। दिनांक 17.06.2015 को कानि.हवासिंह 123 को नमूना सेम्पल मय अग्रेषण पत्र के सीलचिटशुदा हालत में जमा कराने हेतु चित्तौड़गढ़ व जयपुर रवाना किया जो दिनांक 19.06.2015 को जमा करा रसीद संख्या 6109/15 प्राप्त कर लाया जो मालखाने में इंद्राज की गई जिसपर गवाह गोपालसिंह ने अपने हस्ताक्षर होना बताया। मालखाना रजिस्ट्र प्रदर्श पी.7 व इसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी.7ए के रूप में गवाह ने साक्ष्य में प्रदर्शित करवायी।

पी.डब्ल्यू 17 झाबरमल ने कथन किया है कि दिनांक 01.06.2015 को वह थाना कनेरा में कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन एसएचओ बाघसिंह को सूचना मिली की बेणीपुरिया गांव में नंदलाल धाकड़ के नोहरे पर डोडाचूरा इकट्ठा कर रखा है जिसपर वह मय जाब्ता व मौतबिरान के साथ समय 1.30 पीएम पर वेणीपुरिया गांव में दक्षिण दिशा की तरफ बने नंदलाल धाकड़ के नोहरे पर पहुंचे जहां नोहरे के लोहे का गेट लगा हुआ हो गेट बंद मिला। एसएचओ ने आवाद देकर गेट खुलवाया और नोहरे के अंदर प्रवेश किया। नोहरे की चार दीवारी बनी हुई थी और पीछे की तरफ दो बड़े कमरे गोदामनुमा बने हुए थे व वहां चारपाई पर तीन व्यक्ति बैठे थे जो पुलिस को देखकर भागने लगे जिन्हें एसएचओ ने नाम पते पूछने पर एक ने अपना नाम नंदलाल पिता जगन्नाथ धाकड़ व दूसरे ने अपना नाम सोनु उर्फ सादे खां होना बताया। उक्त तीनों को सूचना अवगत करा नोहरे की तलाशी लिये जाने हेतु सहमति प्राप्त कर तलाशी ली गई तो नोहरे में बने गोदामों में रखे कट्टे, बोरों में देखा तो डोडाचूरा मिला जिस हेतु उनके पास कोई लाईसेंस नहीं होना पाया गया। जिसपर इलेक्ट्रोनिक कांटे से तौल किया गया तो कुल 135 कट्टे बोरे में कुल

47 क्विंटल 35 किलो 500 ग्राम अवैध अफीम डोडाचूरा मिला जिसे नियमानुसार जब्त किया गया। प्रदर्श पी.1 फर्द जब्ती पर ओ से पी गवाह ने अपने हस्ताक्षर होना बताया है।

गवाह पी.डब्ल्यू 12 किशनलाल, गवाह पी.डब्ल्यू 15 रतनलाल ने साक्ष्य दी है कि अभियोजन फर्द मौतबिर बनने का नोटिस किशनलाल को दिया जो प्रदर्श पी 11, मुलजिमान नंदलाल के धारा 50 का नोटिस दिया जो प्रदर्श पी 12, मुलजिमान सोनू के धारा 50 का नोटिस दिया जो प्रदर्श पी 13, मुलजिमान नरेश कुमार के धारा 50 का नोटिस दिया जो प्रदर्श पी 14, जप्ती डोडाचूरा प्र.पी01, फर्द नमूनासील प्रदर्श पी 15, मुलजिमान के धारा 52 का नोटिस दिया जो प्रदर्श पी 16, 17 और 18, मुलजिमान की गिरफतारी प्रदर्श पी 19, 20 और 21,मौतबिर बनने हेतु रतनलाल को दिया गया नोटिस प्रदर्श पी.60 होकर उक्त समस्त फर्दात पर उनके हस्ताक्षर है।

गवाह पी.डब्ल्यू 11 हवासिंह ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 01.06.15 को थाना कनेरा पर तैनात था। उस दिन एसएचओ साहब ने उसे समय 12:25 पीएम पर चार लिफाफे दिये जिसमें से तीन बंद और एक खुला था। उसको लेकर एक लिफाफा वह श्रीमान एसपीसाहब, दूसरा लिफाफा एडिश्नल साहब बाहर होने से नहीं दिया गया। उसके बाद निम्बाहेड़ा सीओ साहब को जाकर एक लिफाफा दिया तथा इनकी रसीद प्राप्त की गयी। एसपी और डिप्टी साहब से रसीद प्राप्त कर थाने पर आया व एडिशनल साहब का बंद लिफाफा श्रीमान एसएचओ साहब को संभलाया। धारा 42 की सूचना पुलिस उच्चाधिकारीयों को दी जो प्रदर्श पी 9 है जिस पर ए से बी, सी से डी पुलिस उच्चाधिकारीयों की रिसीवड व हस्ताक्षर है। वह दिनांक 17.06.15 को नमूना सेंपल ए व आवश्यक कागजात लेकर 10:30 एएम पर थाने से रवाना हो एसपी कार्यालय पहुंचा। वहां पर उसने अग्रेषण पत्र बनावाकर दिनांक 18.06.15 को सुबह जयपुर एफएसएल शाखा पहुंचा। वहां पर एफएसएल जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, रसीद संख्या 6109 प्राप्त कर दिनांक 19.06.15 को चित्तौड़गढ़ पहुंचकर एक फोटोप्रति एसपी कार्यालय को दी व मूल प्रति एचएम मालखाना

को थाने पर सुपूर्द की। एसपी कार्यालय का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 6 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। एफएसएल प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 10 है।

गवाह पी.डब्ल्यू 02 जयसिंह ने साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 02.05.2015 को वह कनेरा थाने में कानि. के पद पर कार्यरत होकर उस दिन एसएचओ बाघसिंह ने तीन लिफाफे सीलबंद व एक असल कॉपी धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की सूचना दे रसीद प्राप्त करने हेतु दी। धारा 57 की सूचना प्रदर्श पी.2 पर ए से बी भाग पर एडशिनल एसपी के हस्ताक्षर है।

. गवाह पी.डब्ल्यू 06 उस्मान गनी ने साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 17.06.2015 को एसपी कार्यालय में एफएसएल शाखा प्रभारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन थाना कनेरा से कानि. हवासिंह नं.123 प्रकरण संख्या 35/2015 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के पत्रादि व सेम्पल मार्क बी सीलचिटशुदा हालत में लेकर आया उसने सेम्पल को देखा व एसपी कार्यालय से राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने के लिये अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी.6 तैयार किया जिसपर ए से बी कृते उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 18.06.06 को एफएसएल जमा करा रसीद की प्रति कार्यालय में लाकर दी थी।

गवाह पी.डब्ल्यू 08 राजेन्द्रकुमार ने साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 01.06.2015 को वह जिला आबकारी अधिकारी चित्तौड़ के पद पर तैनात था। उस दिन उप अधीक्षक वृत्त निम्बाहेड़ा उपस्थित आये और सरकार बनाम नंदलाल प्रकरण में सूचना चाही जिसपर उसने सूचना प्रदर्श पी.7 प्रदान की जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

गवाह पी.डब्ल्यू 09 दिनेश ने साक्ष्य में बताया है कि अभियोजन फर्द प्रदर्श पी.8 मौका तस्दीक पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

गवाह पी.डब्ल्यू 10 संजय सगीत्रा ने साक्ष्य में बताया है कि अभियोजन फर्द प्रदर्श पी.4 नक्शामौका पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

गवाह पी.डब्ल्यू 13 भोरीलाल ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह दिनांक 01.06.15 को आबकारी निरीक्षक वृत निंबाहेड़ा के पद पर कार्यरत था। उस दिन दिनांक 05.06.15 को थानाधिकारी कनेरा का पत्र क्रमांक

स्पेशल 1 दिनांक 05.06.15 प्राप्त हुआ। जिसके द्वारा ग्राम वैणीपुरीया पुलिस थाना कनेरा के अफीम कास्तकारों द्वारा प्रस्तुत किये डोडाचूरा उद्घोषण प्रपत्र फॉर्म सी की प्रमाणित प्रतियां मागी गयी। उसके द्वारा ग्राम बैणीपुरिया के 36 काश्तकारों द्वारा प्रस्तुत किये सी फॉर्मो की प्रमाणित छायाप्रतियां थानाधिकारी कनेरा को उपलब्ध करवायी गयी। उक्त गांव से डोडाचूरा संग्रहण हेतु विभाग द्वारा विनोद पुत्र बहराराम को अनुज्ञापत्र जारी किया गया था। समस्त सी फार्मो में डोडाचूरा की मात्रा कुल 42 क्विंटल 99 किलोग्राम थी। काश्तकारों का वांछित रिकोर्ड चाहने बाबत् तहरीर मिली जो प्रदर्श पी 23 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। किसानों द्वारा प्रस्तुत उद्घोषणा पत्र फॉर्म सी प्रदर्श पी 24 —59 तक है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

गवाह पी डब्ल्यू 14 मांगीलाल ने कथन किया है कि अभियोजन फर्द प्रदर्श पी.8 मौका तस्दीक पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

गवाह पी.डब्ल्यू 18 भंवरसिंह ने कथन किया है कि दिनांक 01.06.2015 को वह थाना बिजयपुर में थानाधिकारी के पद पर तैनात होकर उस दिन उसे जरिये वायरलेस प्रकरण संख्या 35/2015 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट की तफ्तीश हेतु प्राप्त हुआ जिसपर उसने दिनांक 02.06.2015 को थाना कनेरा पहुंच तफ्तीश प्रारंभ की। दौराने अनुसंधान प्रकरण से संबंधित गवाहान के बयान उनके कहेनुसार लेखबद्ध किये व प्रार्थी बाघसिंह की निशादेही से घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी.4 मुर्तिब किया। जेर हिरासत मुल्जिम नंदलाल ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत सूचना प्रदर्श पी.78, अभियुक्त सोनू उर्फ सादे खां द्वारा दी गयी धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी.79, अभियुक्त नरेश कुमार द्वारा दी गयी धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी.80 प्रदान की गई जिसपर तीनों मुल्जिमान की निशादेही से मौका तस्दीक प्रदर्श पी.8 मुर्तिब किया गया। अभियुक्त नंदलाल द्वारा दी गयी सूचना प्रदर्श पी.81, मुल्जिम सोनू उर्फ सादे खां की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी.82, अभियुक्त नरेश की जैर हिरासत दी गयी सूचना प्रदर्श पी.83 होकर उक्त सभी फर्दात पर उसके व अभियुक्तगण के हस्ताक्षर है।

गवाह पी.डब्ल्यू 19 प्रीति ने कथन किया है कि दिनांक 23.11.2015 को वह ग्राम पंचायत सरसी की सरपंच के पद पर कार्यरत होकर उस दिन सदर थाना निम्बाहेड़ा के थानाधिकारी ने ग्राम बेणीपुरिया के नंदलाल पिता जगन्नाथ धाकड़ के नोहरे के संबंध में जानकारी चाही जिसपर उसने अभियोजन फर्द प्रदर्श पी.84 के रूप में सूचना प्रदान की जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी उसका पृष्ठांकन है।

गवाह पी.डब्ल्यू 20 विनोद कुमार ने कथन किया है कि वह वर्ष 2014—15 डोडाचूरा खरीदने का ठेका आबकारी विभाग से झुन्झूनु व निम्बाहेडा तृतीय ग्रुप वर्ष 2014—15 के लिए डोडाचूरा का ठेका लिया था। उसे 41 गांव का ठेका मिला था। उसके लाईसेंस नंबर 06/2014—15 था। उसने काश्तकारों से डोडाचूरा संग्रहण करने के लिए रसूलपुर निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ में एक गोदाम दिनेश अहीर से एक आबकारी विभाग से स्वीकृत करवाकर किराए पर लिया था। डोडाचूरा क्रय करने के लिए उसने अपने मजदूरों व कर्मचारियों को रखे ताकि 41 गांव का डोडाचूरा लाईसेंसधारी काश्तकारों से खरीद कर इकट्ठा करके लंबरदार की मौजूदगी में विधिवत परमिट आबकारी विभाग से बनवाकर उसके रसूलपुर गांव में गोदाम के अंदर रखवाने हेतु विधिवत परमिट के जरिए ले जाया जाकर संग्रहण करते थे। उसके पास जो ठैका था उस एरिये में 31 जुलाई तक काश्ताकारेां से डोडचूरा खरीदना होता है। काश्तकारों से डोडाचूरा फॉर्म सी कृषक घोषणा पत्र मुखिया के ताईद करते हुए भरे जाने पर ही काश्तकार के लाईसेंस के आधार पर डोडाचूरा खरीद किया जाता था। उसके निर्देशानुसार ही गांवों में काश्तकारों से डोडाचूरा खरीद कर उसी गांव में संग्रहण किया जाता था और परमिट के आधार पर गोदाम में ले जाते थे। गांव बेणिपुरिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ उसके क्षेत्र में था उस गांव में काश्तकारों से फॉर्म सी के आधार पर मुखिया की मौजूदगी में डोडाचूरा खरीद किया था और पंचायती नोहरे ने इकटठा किया था नंदलाल मुखिया ने उसे सूचना दी की डोडाचूरा पटटेधारी काश्तकारों से खरीद कर इकटठा कर लिया है आप परमिट लेकर आओ ताकि डोडाचूरा आपके गोदाम तक पहुंच जाए। उसने दिनांक 31.05.2015 को परमिट बनाने के लिए आबकारी विभाग में कार्यवाही की और परमिट लेकर वह आबकारी विभाग से रवाना हुआ इस बीच

पुलिस ने आबकारी विभाग को सूचना देकर डोडाचूरा जब्त कर लिया इस प्रकार कुल 36 पटटेधारी काश्तकार का डोडाचूरा फॉर्म सी के जरिए नियमानुसार खरीद किया जिसमें मुखिया नंदलाल, सोनू उर्फ सादे खां, नरेश कुमार, राजू, उमांशंकर, विक्रम गिरी इत्यादि को डोडाचूरा खरीदने के लिए उसने ही मजदूरी पर रखा था और उन्ही को उसने अधिकृत किया था। नंदलाल पिता जगन्नाथ धाकड निवासी बेणिपुरिया सोनू उर्फ सादे खां पिता बद्री खांन मिरासी और नरेश कुमार पिता सोहनलाल उसके अधीनस्थ गांव बेणिपुरिया में डोडाचूरा संग्रहण हेतु नियुक्त थे और उन्होंने उसके अधीनस्थ ही डोडाचूरा संग्रहण का कार्य किया था। डोडाचूरा जो जब्त किया था वो लाईसेंसधारियों का था। जिन काश्तकारों का डोडाचूरा खरीद किया था उनका फॉर्म सी प्रदर्श पी 24 से प्रदर्श पी 59 तक है। उसके ठेके का लाईसेंस प्रदर्श डी 03 व 04 है जो पुलिस को उसने दिया था।

गवाह पी.डब्ल्यु 21 भवानीसिंह ने कथन किया है कि दिनांक 21.11.2015 को थाना सदर निम्बाहेडा पर उप निरीक्षक के पद पर इंचार्ज थाना के रूप में पदस्थापित था। उस दिन प्रकरण संख्या 35 / 15 थाना कनेरा की पत्रावली अग्रिम अनुसधान हेतु मुझे प्राप्त हुई। दौराने अनुसंधान प्रकरण से संबंधित पत्रावली में संलग्न पेशशुदा परिवाद ग्राम वासियान बेणिपुरिया में अंकित गवाहन के कथन लेखबद्ध किए। एफएसएल जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी 85 है। ग्राम बेनिपुरिया के अफीम के पटटाधारी है उनका जो मुखिया है उनके द्वारा हर वर्ष पंचायत के नोहरे पर डोडाचूरा संग्रहण किया जाता था उस भवन में उस समय उक्त दिनांक को भागवत कथा का आयोजन हो रहा था इस कारण से मुखिया व पटटेधारियों ने सलाह करके नंदलाल मुखिया के नोहरे में डोडाचूरा इकट्‌ठा किया गया था। पंचायत के नोहरे में कथा चल रही थी उस कथा का कार्ड प्रदर्श पी 86 है जिस पर ए से बी उसके शामिल पत्रावली का नोट होकर उसके हस्ताक्षर है। सरपंच ग्राम पंचायत सरसी को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम बेणिपुरिया के नंदलाल पिता जगन्नाथ धाकड के नोहरे का स्वामित्व के संबंध में जानकारी चाही जिस पर ग्राम पंचायत ने जो विस्तृत जानकारी दी हो प्रदर्श पी 84 है जिस पर ई से एफ उसके शामिल पत्रावली का नोट होकर उसके हस्ताक्षर है। जिला अफीम अधिकारी को पत्र दिया जो प्रदर्श पी 87 हे

जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त पत्र के आधार पर केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने जवाब दिया जो प्रदर्श पी 88 है जिस पर ए से बी उसका तलबी पृष्ठांकन है। नारकोटिक्स विभाग ने दिशा निर्देश की प्रति उसे प्रस्तुत की थी जो प्रदर्श पी 89 है। ग्राम बेणिपुरिया के काश्तकार घीसालाल लाल, भगवानलाल, भगवान, कस्तुरी बाई धापु बाई के संबंध में अफीम अधिकारी ने जो सूचना दी जो प्रदर्श पी 90 है। मुखिया का नियुक्त पत्र प्रदर्श पी 91 है जिस पर ए से बी शामिल पत्रावली का पृष्ठांकन है। मुखिया का परिचय पत्र प्रदर्श पी 92, अफीम लंबरदारों द्वारा अफीम विभाग द्वारा जो सूचना दी उसकी प्रति प्रदर्श पी 93, विभाग द्वारा प्राप्त पत्रादि प्रदर्श पी 94 से प्रदर्श पी 96 है।

गवाह पी.डब्ल्यू 22 रामनिवास विश्नोई ने कथन किया है कि वह दिनांक 10.08.2015 को थानाधिकारी निम्बाहेडा सदर के पद पर तैनात था। इसी दिन प्रकरण संख्या 35/2015 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना कनेरा की पत्रावली अनुसंधान हेतु मुझे प्राप्त हुई उसके द्वारा गवाहन जयसिंह, हवासिंह, प्रभुलाल, हीरालाल चंपालाल नारूलाल के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए गए। गांव वेणुपुरिया के काश्तकारों की अफीम काश्त की पटटेधारियों की सूचना प्राप्त की गई इससे संबंधित फॉर्म सी जो पत्रावली में शामिल किया गया तथा लंबरदार का नियुक्ति एवं रिकॉर्ड भी प्राप्त किया।

बरामदशुदा अवैध अफीम डोडाचूरा का नमूना मार्क बी वास्ते जांच अफीम प्रयोगशाला जोधपुर भेजा जहां से प्राप्त जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी–85 के अनुसार The extract of the sample packed in the packet marked B was found to contain chief constituents of opium. Hence, the sample is of dry crushed capsules of opium poppy from which juice has been extracted.होना पाया गया।

15. साक्ष्य सफाई में गवाह डी.डब्ल्यु 01 मूलचंद अपने बयानों में कथन करता है कि उसका अफीम का पट्टा वेणीपुरिया गांव में है। गवाह ने पत्रावली देखकर बताया कि पट्टे की फोटोप्रति प्रदर्श डी.40 है जिसपर एक्स स्थान पर

उसका फोटो चस्पा है। यह उसके पट्टे की फोटोप्रति है। वह गांव के अन्य व्यक्तियों को भी जानता है जिनके अफीम के पट्टे है जिनके फोटो देखकर वह पहचान सकता है। फोटोप्रति प्रदर्श डी 41 से लगायत प्रदर्श डी 75 तक पट्टे है जिस पर एक्स स्थान पर चस्पा फोटो वाले व्यक्ति को जानता हूं तथा अफीम के पट्टे इन्हीं के है। उसके द्वारा घोषणापत्र प्रदर्श डी 76 दिया था, पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। इसी प्रकार सभी काश्तकार ने घोषणापत्र दिये थे। उसके पट्टे के खेत का डोडाचूरा उसने ठेकेदारजी को दिया था। यह कहना सही है कि पिछले छह–सात साल से बुआई कर रहे थे। उसके बयान का भाग ए से बी उसने सही लिखाया है। इसी प्रकार वेणीपुरिया गांव के सभी काश्तकारों ने अपना लाईसेंस डोडाचूरा लाईसेंसधारी ठेकेदार को दिया है और वही डोडाचूरा पुलिस ने जब्त किया इस बाबत् उन्होंने बयान दिये थे। विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह कथन करता है कि प्रदर्श डी 40 का असली पट्टा उसके घर पर है। ठेकेदार ने डोडा कब तौला आज दिनांक याद नहीं है। ठेकेदार तौल करने के बाद माल को गांव में ही कहां सुरक्षित रखता है, माल कहां रखता है उसे पता नहीं है। पुलिस ने जो डोडाचूरा जब्त किया वह हमारे काश्तकारों का लाईसेंसधारी डोडाचूरा था।

साक्ष्य सफाई में गवाह डी.डब्ल्यु 02 रामलाल अपने बयानों में कथन करता है कि उसका अफीम का पट्टा वेणीपुरिया गांव में है। गवाह ने पत्रावली देखकर बताया कि पट्टे की फोटोप्रति प्रदर्श डी 65 है जिस पर उसका फोटो एक्स स्थान पर चस्पा है। वह गांव के अन्य लोग को भी जानता है जिनके अफीम के पट्टे है जिनके फोटो देखकर पहचान सकता हूं। पट्टे की फोटोप्रति पत्रावली में संलग्न है जिन पर प्रदर्श डी 41 से प्रदर्श डी 75 है जिस पर एक्स स्थान पर फोटो है जिनको वह पहचानता है। उसके द्वारा घोषणा पत्र दिया जो प्रदर्श डी 77 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। इसी प्रकार सभी काश्तकार ने घोषणापत्र दिये थे। पट्टे के खेत का डोडाचूरा ठेकेदार को दिया था। यह सही है कि पच्चीस–तीस साल से अफीम की खेती कर रहे है। खेत का डोडाचूरा ठेकेदार को देते है। योग्य विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह कथन करता है कि उसका असल पट्टा घर पर है जो हर साल नये जारी होते है। पुलिस ने डोडाचूरा कब जब्त किया दिनांक याद नहीं

है। ठेकेदार ने डोडाचूरा गांव के किस गवाड़ी में जमा किया तथा उसका आदेश उसके पास था या नहीं उसे पता नहीं है।

16. हमने प्रस्तुत तर्को एवं साक्ष्य पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का भी सम्मानपूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रकरण के विचारणीय बिंदुओं पर कमवार हमारे निष्कर्ष निम्नलिखित हैः—

विचारणीय बिन्दू संख्या एक

17. **अभियुक्तगण नंदलाल, सोनू उर्फ सादे खॉ तथा नरेश कुमार** पर **धारा 8/15 अधिनियम** का आरोप है।

18. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क है कि प्रकरण में लाईसैंसधारी पट्टा धारकों के वैध डोडाचूरा को ठेकेदार विनोद जिसने अपने बयानों में बरामदशुदा अफीम डोडाचूरा स्वयं का होना बताया है, के निर्देशन में अभियुक्त नंद लाल, सोनू उर्फ सादे खॉ तथा नरेश कुमार मजदूरों के माध्यम से इक्कठा किया है। उनका तर्क है कि हस्तगत प्रकरण में विनोद के निर्देशन में अफीम पट्टेधारियों द्वारा पट्टे का डोडाचूरा इक्कठा करने के लिए गॉव के मुखिया नंद लाल व उसमें सहयोग करने वाले मजदूरों, हेल्परों को प्रकरण में मिथ्या लिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रकरण में बरामदशुदा मुद्दा माल को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में धारा 52 ए की कार्यवाही विधिनुसार सम्पादित नहीं की गई है, 52 ए की कार्यवाही के दौरान बोरों का तौल भी नहीं किया गया है और ना ही उनमें से प्रतिनिधि सेम्पल ही निकाले गये है। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में बरामदशुदा अफीम डोडाचूरा के कट्टों में से प्रत्येक में से दो—दो सेम्पल नहीं लिये गये है। प्रतिनिधि सेम्पल पेश नहीं हुए है। प्रकरण में संपूर्ण मुद्दा माल न्यायालय में पेश नहीं हुआ है मात्र सेम्पल पेश हुए है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जावें।

19. हस्तगत प्रकरण में जब्ती अधिकारी गवाह पी. डब्ल्यु 16 बाघ सिंह ने सशपथ कथन किया कि दिनांक 01.06.2015 को थानाधिकारी कनेरा

के पद पर पदस्थापित था। उस दिन समय 12.25 पीएम पर जरिये मुखबिर नंद लाल धाकड़ के नोहरे में अवैध अफीम डोडाचूरा की सूचना के अनुसरण में मय जाब्ता, मौतबीरान रतनलाल व किशन लाल को नोटिस क्रमशः प्रदर्श पी 60 तथा प्रदर्श पी 11 देकर मौतबीर बनने की लिखित सहमति प्राप्त की। जाब्ता, मय मौतबीरान के वेणीपुरिया में स्थित नंदलाल धाकड के नोहरे पर पहुंचे, जहॉ पर नंदलाल धाकड़, सोनू उर्फ सादे खॉन तथा नरेश मेघवाल को धारा 50 अधिनियम के तहत तलाशी सहमति का नोटिस क्रमशः प्रदर्श पी प्रदर्श पी 12 लगायत प्रदर्श पी 14 दिया जाकर तीनों ने ही बाघ सिंह से ही तलाशी लिवाई जाने की लिखित में सहमति दी। रूबरू मौतबीरान परस्पर तलाशी लिवाई जाकर नंदलाल की तलाशी में एक मोबाईल तथा 340 रूपये, सोनू उर्फ साधे खां की तलाशी में एक मोबाईल तथा नरेश की तलाशी में एक मोबाईल व 120 रूपये मिले तथा प्रत्येक से धारा 50 के नोटिस मिले। गोदाम के अंदर रखे हुये 135 बोरो में **कुल वजन 47 क्विंटल 35 किलो अवैध अफीम डोडाचूरा के बरामद हुयें।** जिनमें से 01 से लगायत 95 तक बोरों पर **नाम पते लिखे हुये नही थे,** का वजन 33 क्विंटल 27 किलो 500 ग्रम तथा बोरा नंम्बर 01 से 40 पर **नाम लिखे हुये** होकर इनका **वजन 14 क्विंटल 7 किलो 500 ग्राम** मय बारदान के हुआ। प्रत्येक बोरे मे से 100—100 ग्रम नमूना सेपल के लिये अलग—अलग निकाला गया, जो कुल 13 किलो 500 ग्राम हुआ, निकाले गये डोडाचूरा को एक तिरपाल पर मिश्रित किया उसमे से 500 ग्राम नमूना सेपल व 500 ग्राम कन्ट्रोल सेम्पल अलग निकाला जाकर दोनो सेम्पलो को सीलचिटबंद कर मार्क बी व सी दिया गया तथा शेष बचे 12 किलो 500 ग्राम डोडाचूरा को एक कट्टे में रख कर मार्क डी दिया गया। जप्तशुदा अफीम डोडाचूरा के बोरो को सीलचिट बंद कर बोरो को सिरियल नम्बर अंकित किये। नंदलाल, सोनू उर्फ साधे खां व नरेश कुमार द्वारा अवैध अफीम डोडाचूरा तस्करी करने के लिये व तस्करो को भेजने के लिये एकत्रित कर अपने गोदाम में अपने कब्जे मे रखने से धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट का अपराध होने से उक्त तीनो नंदलाल, सोनू उर्फ साधे खां व नरेश कुमार को धारा 52 अधिनियम के नोटिस क्रमशः प्रदर्श पी 16 लगायत प्रदर्श पी 18 देकर जरिये फर्द गिरप्तारी क्रमशः प्रदर्श पी 19 लगायत प्रदर्श पी 21 के गिरफ्तार किये गये। मौके पर फर्द जप्ती डोडाचूरा प्रदर्श पी 01, फर्द नमूना सील प्रदर्श पी 15 है। बाद कार्यवाही माल, मुलजिमान के थाने पर आये। घटना के रोज 05:00 पीएम पर आबकारी विभाग चित्तौड़गढ़ द्वारा मुलजिमान के नाम अफीम डोडाचूरा एकत्रित करने, क्रय करने या परिवहन करने का कोई अधिकार पत्र जारी किया हुआ नहीं था। नमूना सेम्पल मार्क

बी आर्टिकल 01, कन्ट्रोल सेम्पल सेंपल मार्क ए आर्टिकल 02, जामा तलाशी में मिले सामान आर्टिकल 03, नोहरे पर मिले पेन, केलकुलेंटर आर्टिकल 04 है।

20. जब्ती अधिकारी के साथ जाब्ते में मौजूद गवाह पी डब्ल्यु 01 नंदलाल, पी.डब्ल्यु 03 बगदीराम, पी.डब्ल्यु 04 शंभुलाल, पी.डब्ल्यु 07 गोपाल सिंह तथा पी डब्ल्यु 17 झाबर मल ने अपने सशपथ बयानों में जब्ती अधिकारी पी डब्ल्यु 16 बाघ सिंह के कथनों की पुष्टि की है।

21. स्वतंत्र साक्षी गवाह पी.डब्ल्यु 12 किशन लाल तथा पी डब्ल्यु 15 रतन लाल दोनों ही पक्षद्रोही घोषित हुयें है, किंतु अखण्ड़ित रूप से अभियोजन फर्दात अभियुक्तगण नंदलाल, सोनू उर्फ साधे खां व नरेश कुमार को धारा 50 अधिनियम के नोटिस क्रमशः प्रदर्श पी प्रदर्श पी 12 लगायत प्रदर्श पी 14, धारा 52 अधिनियम के नोटिस क्रमशः प्रदर्श पी 16 लगायत प्रदर्श पी 18 देकर जरिये फर्द गिरप्तारी क्रमशः प्रदर्श पी 19 लगायत प्रदर्श पी 21, फर्द जप्ती डोडाचूरा प्रदर्श पी 01, फर्द नमूना सील प्रदर्श पी 15 पर अपने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। इस प्रकार मौतबीरान साक्षियों ने भी महत्वपूर्ण अभियोजन फर्दात पर स्वयं के हस्ताक्षर बताये है तथा अभियोजन कहानी का समर्थन किया है, जिनकी साक्ष्य को नकारा नहीं जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य पुलिसकर्मियों ने घटना की पूर्णतया ताईद की है। उनकी साक्ष्य पर जिरह के दौरान कोई आंच नहीं आयी है। इस प्रकार जब्ती अधिकारी एवं जाब्ता के अन्य सदस्यों की साक्ष्य में कोई तात्विक विरोधाभास नहीं है।

22. अधिवक्ता अभियुक्तगण का दौराने बहस यह तर्क रहा है कि प्रकरण में स्वतंत्र गवाह पक्षद्रोही होकर अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करता है। चश्मदीद गवाह के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास है। हस्तगत प्रकरण में यहां हम न्यायिक दृष्टान्त सत्यनारायण बनाम राजस्थान राज्य 2018 (3) सीआर.एल.आर.(राज.) 1465 में माननीय न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि सामान्य दृष्टिकोण से अधिनियम में प्रस्तावित कड़े आदेशों के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन पक्ष से यह अपेक्षित है कि तलाशी की कार्यवाही स्वतंत्र साक्षियों के कथनों से सम्पुष्ट करे। किंतु केवल मात्र स्वतंत्र साक्षियों के पक्षद्रोही होने से अन्य पुलिस साक्षियों की सत्यनिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह

लगाया जाना उचित नहीं हैं। जाब्ते में उपस्थित रहे साक्षीगण की साक्ष्य से अधिग्रहण की कार्यवाही के प्रति संदेह नहीं रह जाता है। केवल मात्र सूक्ष्म विरोधाभास होने से हमारी राय में अधिग्रहण की कार्यवाही की विश्वसनीयता प्रभावित नहीं होती है।

23. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक नजीरों 2013 (8) एस.सी.सी. पेज 595 कश्मीरीलाल बनाम हरियाणा राज्य, 2013 (14) एस.सी.सी. पेज 235 रामस्वरूप बनाम एन.सी.टी.दिल्ली, 2001 (1) एस.सी.सी. पेज 748 एन.सी.टी.दिल्ली बनाम सुनील, क्रिमीनल अपील नं. 167/2006 निर्णय दिनांक 04.11.2015 में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि आम नागरिक साक्षियों के पक्षद्रोही होने से ही पुलिसकर्मीयों की साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाती है। पुलिसकर्मीयों की साक्ष्य में महत्वपूर्ण विरोधाभास होने की स्थिति में ही उनकी साक्ष्य संदिग्ध होती है। आम व्यक्ति ईमानीदार से काम करते हैं, यह उपधारणा पुलिसकर्मीयों के लिए भी है। इस प्रकार जब्ती अधिकारी एवं जाब्ता के अन्य सदस्यों की साक्ष्य में कोई तात्विक विरोधाभास नहीं है। अतः इस साक्ष्य पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है।

24. जब्ती अधिकारी गवाह पी डब्ल्यु 16 बाघ सिंह, जाब्ते में मौजूद गवाह पी डब्ल्यु 01 नंदलाल, पी.डब्ल्यु 03 बगदीराम, पी.डब्ल्यु 04 शंभुलाल, पी.डब्ल्यु 07 गोपाल सिंह तथा पी डब्ल्यु 17 झाबर मल के बयानों से बाघसिंह थानाधिकारी कनेरा को प्राप्त सूचना के अनुसरण में रूबरू मौतबीरान किशन लाल तथा रतन लाल के वेणीपुरिया स्थित नंदलाल धाकड के नोहरे की नंद लाल, सोनू उर्फ सादे खॉन तथा नरेश की उपस्थिति में गोदाम की विधिनुसार तलाशी लिये जाने पर गोदाम के अंदर रखे कुल 135 बोरो में **कुल वजन 47 क्विंटल 35 किलो अवैध अफीम डोडाचूरा के बरामद** मय बारदान के बरामद होना प्रमाणित हुआ है।

25. जैसा कि मुलजिम के अधिवक्ता का तर्क है कि जब्ती अधिकारी द्वारा जो अफीम डोड़ाचरा बरामद किया गया है, वह डोडाचूरा पट्टा धारियों का लाईसैंसशुदा डोडाचूरा था, जिसे नंद लाल के नोहरे पर इक्कठा किया हुआ था। वहॉ से ठेकेदार विनोद द्वारा परमिट बनाकर अपने

गोदाम रसुलपुरा ले जाना था और विनोद के निर्देशन में ही नंद लाल के बाड़े पर मजदूरों की सहायता से इक्कठा किया हुआ था। अनुसंधान अधिकारी ने भी समस्त अफीम डोडाचूरा लाईसैंसधारियों का ही होना बताया है।

26. **अब प्रश्न उठता है कि क्या बरामदशुदा समस्त अफीम डोडाचूरा लाईसैंसधारियों का होकर ठेकेदार विनोद के निर्देशन में नंद लाल के नोहरे पर अन्य मजदूरों की सहायता से इक्कठा किया हुआ था, जिसे अनुज्ञप्तिधारी विनोद ले जाने वाला था या फिर मुलजिमान ने लाईसैंसधारी/ पट्टेधारियो के अफीम डोडाचूरा की आड़ में अन्य अवैध अफीम डोडाचूरा अपने कब्जे में रखा** ?

27. इस संबंध में सर्वप्रथम अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.) का अवलोकन करते है। चूँकि इस प्रकरण में पहले एफआर तथ्य की भूल मानकर पेश की थी, जिसमें अंकित है कि :—

01. जिला आबकारी अधिकारी चित्तौड़गढ़ व जिला अफीम अधिकारी चित्तौड़गढ़ से रिकॉर्ड प्राप्त किया तो उन्होनें रिकॉर्ड में अंकित किया है कि वर्ष 2014—15 में गॉव बेणीपुरिया में 36 काश्तकारों को अफीम काश्त करने का पट्टा जारी किया गया था और 36 ही काश्तकारों द्वारा अफीम की खेती की गई। बेणीपुरिया अफीम पट्टा धारियों एवं उनके परिवारजनों के बयान लिये गये तो गॉव बेणीपुरिया के काश्तकारों का जब्तशुदा अफीम डोडाचूरा था।

02. यह कि पूर्व में पंचायती नोहरे में डोडाचूरा इक्कठा करते थे, किन्तु मई में पंचायती नोहरे में भागवत कथा थी, इसलिए नंद लाल के नोहरे में तुलवाने हेतु डोडाचूरा इक्कठा किया था। मुखिया द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को डोडाचूरा इक्कठा होने की सूचना देने पर अनुज्ञप्तिधारी परमिट बनाकर उन्हें तुलवाकर, भुगतान करा डोडाचूरा ले जाता है।

03. यह कि जिला अफीम अधिकारी डोडाचूरा इक्कठा करने हेतु नारकोटिक्स विभाग द्वारा मुखिया को अधिकृत करता है और उसी के माध्यम से काश्तकारों का डोडाचूरा तुलवाने की जिम्मेदारी देता है।

04. यह कि नंद लाल के पास अफीम काश्त करने हेतु पट्टा जारी किया हुआ है और मुखिया होने के संबंध में नियुक्ति पत्र भी था और मुखिया ही अफीम तौल के दौरान काश्तकारों के परिवारजन/रिश्तेदारों की पहचान करता है, जो अफीम डोडाचूरा तुलवाते थे।

05. यह कि जब्तशुदा डायरी में काश्तकारों के नाम, बोरों का वजन अंकित था और कुछ काश्तकार बोरों पर नाम लिखते थे और कुछ काश्तकार बोरों पर नाम नहीं लिखते थे। कुछ काश्तकारों का नाम बोरों पर था और कुछ काश्तकारों के नाम डायरी में था।

06. परमिटधारी विनोद ने अफीम डोडाचूरा इक्कठा करने हेतु राजु, विक्रम, उमाशंकर, सोनु व नरेश को नंद लाल के सहयोग हेतु भेजा हुआ था और बोरों के हिसाब से उन्हें मजदूरी मिलती थी क्योंकि उन्हीं के द्वारा बोरों को इक्कठा किया जाता था।

07. अफीम डोडाचूरा इक्कठा करते समय जो थैला प्रापत हुआ था उसमें डायरी भी थी और गलत फॉर्म नं0 सी भी थे। सही फार्म नं0 सी को जमा करवा दिये थे और गलत फार्म नं0 सी थे, उनको काश्तकारों द्वारा आधे अधुरे भरे थे, वे थैले में मिले थे।

08. फार्म नं0 सी में अफीम डोडाचूरा की अनुमानित मात्रा जो काश्तकारों द्वारा लिखी गई थी, जो कुल 42 क्विन्टल 99 किलो थी, जबकि मौके से 47 क्विन्टल 35 किलो अवैध अफीम डोडाचूरा बरामद हुआ है।

09. इस तरह से 42 क्विन्टल 99 किलो अवैध अफीम डोडाचूरा से जो ज्यादा अफीम डोडाचूरा प्राप्त हुआ है, जिसके संबंध में एफ आर में यह अंकित है कि, क्योंकि अफीम डोडाचूरा लाईसैंसधारियों के पास इलेक्ट्रोनिक कांटा नहीं होता है, जिससे वजन में अंतर आना स्वभाविक है। साथ ही 135 बोरों बारदानें भी इसी वजन में शामिल है और फार्म नं0 सी में अनुमानित मात्रा होती है। इस आधार पर अनुसंधान से मामला अदम वकुवा पाया गया और मुलजिमान की रिहाई हेतु धारा 169 सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट

पेश की गई थी, जिसे न्यायालय द्वारा इस आधार पर अस्वीकार किया था, जो निम्नानुसार है :—

01. दिनांक 01.06.2015 को जब पुलिस मौके पर पहुची थी तो मुलजिमान ने भागने की कोशिश की थी, फिर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के संबंध में मुलजिमान द्वारा सूचना दी गई थी। बरामदगी के 05 महिने बाद अभियुक्तगण की रिहाई हेतु धारा 169 दण्ड प्रकिया संहिता का आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसे न्यायालय को प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि पुलिस द्वारा अभियुक्तगण से सांठगांठ करके उन्हें रिहा करने का प्रयास किया जा रहा है और यह भी माना है कि साक्ष्य के विचारण के दौरान ही यह साबित किया जा सकता है कि उक्त माल अभियुक्तगण के गोदाम में कहा से आया और किन व्यक्तियों के द्वारा उसे वहॉ रखा गया था। अभियुक्त नंद लाल मुखिया होने मात्र से अवैध मादक पदार्थ रखने का लाईसैंस नहीं मिल जाता है और यह भी अंकित किया कि पुलिस के द्वारा अभियुक्तगण से सांठ गांठ करके उनकी रिहाई के संबंध में निवेदन किया है। इस आधार पर धारा 169 सीआरपीसी का प्रार्थनापत्र अस्वीकार कर मुलजिमान के विरूद्व धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के अपराध में प्रसंज्ञान लिया गया है।

28. अब हमें यह देखना है कि क्या बरामदशुदा अफीम डोडाचूरा लाईसैंसशुदा अफीम काश्तकारों का था या उनकी आड़ में मुलजिमान द्वारा अवैध डोडाचूरा एकत्रित किया गया था तो इस संबंध में सर्वप्रथम जब्ती अधिकारी के बयानों को देखते है, जिसने अपने मुख्य बयानों में यह कथन किया है कि मुखबीर की सूचना के आधार पर जाब्ते के साथ थाने से अनुसंधान सामग्री लेकर वेणीपुरिया चौराहे पर पहुंच मौतबीरान रतनलाल व किशन लाल को साथ ले वेणीपुरिया स्थित नंदलाल धाकड के नोहरे पर पहुंचे। नोहरे का गेट अंदर से बंद था। आवाज देकर लोहे के दरवाजे को खुलवाया तो अंदर तीन व्यक्ति उन्हें देखकर भागने लगे, जिनको पकड़ पूछने पर एक ने अपना नाम नंदलाल, दूसरे ने सोनू व तीसरे ने अपना नाम नरेश होना बताया। अभियुक्तगण का मौके से भागने का जब्ती अधिकारी ने बताया है और अन्य चश्मदीद गवाहान ने भी भागने का कथन किया है। सर्वप्रथम इस बात पर कि

मौके से मुलजिमान भागे हो, इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि नोहरा बंद है। जैसा कि जब्ती अधिकारी गवाह पी डब्ल्यु 16 बाघ सिंह ने बताया कि नोहरे पर लोहे का दरवाजा बंद था, जिसे आवाज देकर खुलवाया। यदि मुलजिमान भागते तो उसी गेट से भागते, जिस गेट से जब्ती अधिकारी व जाब्ता के सदस्य अंदर आये थे। ऐसी स्थिति में जाब्ते को देखकर मुलजिमान भागे हो, इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जब्ती अधिकारी द्वारा मौतबीरान रतन लाल तथा किशन लाल का होना बताया है, जबकि यह दोनों ही गवाहान पक्षद्रोही हुयें है और उन्होनें नंद लाल के नोहरे के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की है। जब्ती अधिकारी ने 135 बोरे में कुल 47 क्विंटल 35 किलो डोडाचूरा बरामद करना बताया है।

29. चश्मदीद गवाह पी डब्ल्यु 01 नंद लाल, पी डबल्यु 03 बगदीराम, पी डब्ल्यु 04 शम्भु लाल तथा पी डब्ल्यु 07 गोपाल सिंह ने भी इन्हीं कथनों को दोहराया है।

30. इस प्रकरण में प्रथम अनुसंधान अधिकारी भॅवर सिंह रहे है, जो पी डब्ल्यु 18 के रूप में प्रस्तुत हुवें है, जिन्होनें अपने बयानों में घटनास्थल का नक्शामौका बनाया। अभियुक्तगण नंदलाल, सोनू तथा नरेश कुमार द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी 78, प्रदर्श पी 79 तथा प्रदर्श पी 80 है। सभी मुलजिमान नंदलाल, सोनू तथा नरेश कुमार से अन्य धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचनाए प्राप्त की गई है, जो सूचनाए प्रदर्श पी 81, प्रदर्श पी 82, प्रदर्श पी 83 है, जिनके अनुसार राजु व विक्रम के कहेंनुसार उनके द्वारा खरीदा गया और नंद लाल के गोदाम में भण्डारण किया गया। राजु का मकान बता सकते है और इस तरह से मौका तस्दीक की गई है, जो प्रदर्श पी 08 है, जिसमें राजु का मकान दर्शाया है।

31. मुलजिमान के अधिवक्ता द्वारा राजू वह व्यक्ति बताया है जो लाईसैंसधारी को अफीम डोडाचूरा इक्कठा करके नंद लाल के नोहरे में रखता था और एफआर में भी यहीं अंकित है। राजु व विक्रम दोनों ही विनोद द्वारा अफीम डोडाचूरा इक्कठा करने हेतु मजदूर थे, जो लाईसैंसधारियों का डोडाचूरा इक्कठा करके नंद लाल के नोहरे तक लाते थे। जिरह में गवाह ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 78 लगायत प्रदर्श पी 83 दफा 27 साक्ष्य

अधिनियम की सूचनाओं में कोई स्वतन्त्र मौतबीर नहीं है और इन सूचनाओं में जिनसे खरीदा, उनके नाम नहीं बताये है और सोनू व नरेश ने भी जगह व जिनसे खरीदा, उनका नाम पता नहीं बताया। इस तरह से प्रथम अनुसंधान अधिकारी द्वारा जो सूचनाए प्राप्त की गई थी, उन सूचनाओं से यह कतई पता नहीं लगता कि किनसे डोडाचूरा खरीदा हो। बल्कि राजु के मकान का मौका तस्दीक करवा दिया था और राजू परमिटधारी विनोद का मजदूर था, जिसने लाईसैंसधारियों से अफीम डोडाचूरा इक्कठा करके नंद लाल के बाड़े में लाया था। इस तरह इस अनुसंधान अधिकारी ने कोई अवैध डोडाचूरा के संबंध में कोई तथ्य नहीं खोजा है।

32. द्वितीय अनुसंधान अधिकारी रामनिवास विश्नोई है, जो पी डब्ल्यु 22 के रूप में प्रस्तुत हुवें है, जिन्होनें अपने बयानों में कथन किया है कि उन्होनें गवाहान के बयानात उनके कथनानुसार लेखबद्व किये तथा गॉव वेणीपुरिया के काश्तकारों की अफीम काश्त के पट्टेधारियों की सूचना व इससे संबंधित फार्म सी तथा लम्बारदार व मुखिया का रिकॉर्ड प्राप्त किया था। जिरह में गवाह ने स्वीकार किया है कि जब उसने अनुसंधान किया तो उसने पाया कि **जब्तशुदा डोडाचूरा लाईसैंसशुदा काश्तकारों का था**। प्रदर्श पी 24 लगायत 59 तक फॉर्म सी उसे अनुसंधान में प्राप्त हुयें थे। इस तरह से द्वितीय अनुसंधान अधिकारी ने माना है कि जब्तशुदा डोडाचूरा जो था, वह लाईसैंसशुदा काश्तकारों का था।

33. इसी तरह तृतीय अनुसंधान अधिकारी गवाह पी डब्ल्यु 21 भॅवानी सिंह है, जो अपने बयानों में कहता है कि दौराने अनुसंधान प्रकरण से संबंधित पत्रावली में संलग्न पेशशुदा परिवाद ग्राम वासियान बेणिपुरिया में अंकित गवाहन थे, उनके बयान लेखबद्ध किए थे। ग्राम बेनिपुरिया के अफीम के पट्टाधारी का हर वर्ष पंचायत के नोहरे पर डोडाचूरा संग्रहण किया जाता था। उस भवन में उस समय भागवत कथा का आयोजन हो रहा था, इस कारण से मुखिया व पटटेधारियों ने सलाह करके नंदलाल मुखिया के नोहरे में डोडाचूरा इकट्ठा किया गया था। पंचायत के नोहरे में कथा चल रही थी, उस तथाकथित कथा का कार्ड प्रदर्श पी 86 है। जिला अफीम अधिकारी को पत्र प्रदर्श पी 87

दिया, जिसके आधार पर केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने जवाब प्रदर्श पी 88 दिया। ग्राम बेणिपुरिया के काश्तकार घीसालाल, भगवानलाल, भगवान, कस्तुरी बाई, धापु बाई के संबंध में अफीम अधिकारी ने सूचना प्रदर्श पी 90 दी। मुखिया का नियुक्त पत्र प्रदर्श पी 91 तथा मुखिया का परिचय पत्र प्रदर्श पी 92 है। अनुसंधान अधिकारी ने अपने बयानों में यह भी कहा है कि सम्पूर्ण अनुसंधान से अभियुक्तगण नंद लाल, सोनू तथा नरेश के विरूद्व किसी प्रकार का काई अपराध प्रमाणित नही पाया गया। जिरह में गवाह ने स्वीकार किया है कि **प्रकरण में जब्तशुदा मुद्दा माल लाईसैंसधारी ठेकेदार का था एवं उसे बतौर डोडाचूरा रखनेबाबत लाईसैंस आबकारी विभाग से मिला हुआ था। उसने तीनों ही व्यक्तियों के विरूद्व दौराने अनुसंधान आई साक्ष्य के अनुसार कोई अपराध प्रमाणित नहीं पाया। जब्तशुदा मुद्दामाल परमिटशुदा लाईसैंसधारी व पट्टेधारी काश्तकारों का था और नंदलाल, सोनू व नरेश ने किसी प्रकार का कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया।**

34. इस तरह से अनुसंधान अधिकारी के बयानों से यह स्पष्ट है कि अनुसंधान अधिकारी ने तीनों ही मुलजिमान के विरूद्व लाईसैंसधारियों के बयानों के आधार पर अपराध प्रमाणित नहीं माना और नंद लाल के नोहरे पर अफीम डोडाचूरा इसलिए इक्कठा होना पाया, क्योंकि पंचायती भवन में भागवत कथा का आयोजन था, इसलिए सभी की सलाह से नंद लाल के नोहरे में डोडाचूरा इक्कठा किया गया था, जिसका कार्ड भी प्रदर्शित करवाया है। मुलजिमान के अधिवक्ता की इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है कि जब्तीस्थल जहॉ से डोडाचूरा की जब्ती की कार्यवाही की गई है, वह नंद लाल का नोहरा नहीं हो।

35. अनुसंधान अधिकारी द्वारा जिला अफीम अधिकारी को भी प्रार्थनापत्र मुखिया व अफीम डोडाचूरा के संबंध में दिया गया है, जिसका जवाब भी प्रदर्शित करवाया है। सरपंच प्रीती के जवाब के अनुसार भी अनुसंधान से व काश्तकारों के बयानों के आधार पर जब्तशुदा डोडाचूरा लाईसैंसधारियों का होना पाया है।

36. अब इस संबंध में अभियोजन पक्ष ने गवाह पी डब्ल्यु 08 राजेन्द्र कुमार जिला आबकारी अधिकारी के बयान करवाये है, उन्होनें भी कहा है कि उप अधीक्षक वृत्त निम्बाहेड़ा द्वारा नंदलाल के संबंध में सूचना चाही, जो उसके द्वारा दी गई, जो प्रदर्श पी. 07 है। जिरह में कहा है कि विभाग में डोडाचूरा इक्कठा करने का बंदोबस्त किया जाता है। काश्तकार उनके यहॉ आकर फॉर्म सी प्रस्तुत करते है। इसके बाद वे डोडाचूरा संग्रहण की कार्यवाही करवाते है और संग्रहण के लिए अनुज्ञापत्र जारी किया जाता है। यह सही है कि प्रदर्श डी 01 के साथ आवंटित काश्तकारों की सूची है, जो वेणीपुरिया गॉव के है जो क्रम संख्या 01 से 36 है। उक्त अनुज्ञाधरी अधिकृत लिस्ट के काश्तकारों के अनुसार नियमानुसार डोडा पोस्ट का संग्रहण करके बोण्ड के अनुसार बोण्ड रसूलपुरा में संग्रहित करेगे। काश्तकारों से डोडा पोस्ट संग्रहित करके सुरक्षित रखा जाता है। प्रत्येक काश्तकार अपने द्वारा प्रस्तुत फार्म सी में अंकित खेत खलियान या घर पर रखने के लिए सूचित करता है। उक्त अनुज्ञाधारी को रसूलपुरा गॉव में विभाग द्वारा अधिकृत एवं स्वीकृत स्थल के अतिरिक्त अन्यन्त्र डोडापोस्त रखने का अधिकार नहीं है।

37. गवाह पी डब्ल्यु 13 भोरी लाल आबकारी निरीक्षण ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि थानाधिकारी कनेरा ने वॉछित रिकार्ड चाहने हेतु तहरीर प्रदर्श पी 23 दी, जिस पर गॉव वैणीपुरीया के अफीम कास्तकारों द्वारा प्रस्तुत डोडाचूरा उद्‌घोषण प्रपत्र फॉर्म सी की प्रमाणित प्रतियां मॉगने पर 36 काश्तकारों द्वारा प्रस्तुत सी फॉर्मों की प्रमाणित प्रतियां प्रदर्श पी 24 लगायत प्रदर्श पी 59 तक उपलब्ध करवायी गयी। समस्त सी फार्मो में डोडाचूरा की मात्रा कुल 42 क्विंटल 99 किलोग्राम थी। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने स्वीकार किया है कि बैणीपुरिया के 36 काश्तकारों को अफीम उपज करने का लाईसेंस जारी था। यह भी सही है कि 36 फार्म आये थे और डोडाचूरा की कुल मात्रा का वजन 42 क्विन्टल 99 किलो हुआ था। यह कहना सही है कि तौल के समय समस्त डोडाचूरा को एक जगह इक्कठा कर लेते है। यह सही है कि मुखिया नारकोटिक्स विभाग द्वारा ही नियुक्त किया जाता है।

38. दोनों ही गवाहान के बयानों से स्पष्ट है कि नारकोटिक्स विभाग द्वारा ही नियुक्त किया जाता था और मुखिया नंद लाल को नियुक्त किया था और दोनों ही गवाहान के बयानों से स्पष्ट है कि मुखिया को डोडाचूरा इक्कठा करने के लिए अधिकृत किया जाता है। दोनों ही गवाहो के बयानों से वेणीपुरिया गॉव के 36 काश्तकारों को अफीम उत्पादन हेतु पट्टे जारी किये थे। अफीम डोडाचूरा के लिए घोषणा पत्र भी आबकारी अधिकारी के यहॉ जमा हुवें है, जो प्रदर्श पी 24 लगायत प्रदर्श पी 59 है, जिसके तहत काश्तकारों ने अपने अनुमानित अफीम डोडाचूरा को अपने घर पर इक्कठा करने हेतु घोषणा पत्र फार्म नं0 सी के रूप में दिया गया है, जिसके अनुसार 36 काश्तकारों का अफीम डोडाचूरा जो कुल मिलाकर जो अनुमानित मात्रा 42 क्विन्टल 99 किलो है और इन गवाहान ने भी यह भी कहा है कि प्रदर्श डी 01 में सी से डी भाग सही लिखा है, प्रदर्श डी 01 का सी से डी में यह अंकित है कि :—

'' दिनांक 01.06.15 को आबकारी निरीक्षक वृत निम्बाहेड़ा पर पदस्थापित था। गावं देवा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ का थोक डोडा पोस्त निम्बाहेडा तृतीय समूह के क्षेत्र में है। जिसके लिये विनोद पिता भेराराम निवासी 161 टीबी रोड़ तहसील व जिला हनुमानगढ़ के नामा पत्र जारी किया हुवा है। गावं बेनीपुरिया में कुल 36 काश्तकारों के नाम पर अफीम काश्त करने का 2014—2015 का लाईसेन्स था जिनके द्वारा नारकोटिक्स विभाग द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र मुताबिक सभी कारों ने बुवाई की थी। सभी काश्तकारों द्वारा फार्म सी. कृषक द्व ारा घोषणा पत्र भरकर दिनांक 15 को आबकारी कार्यालय वृत निम्बाहेड़ा भिजवाये जो कार्यालय में प्राप्त हुये। गावं बेनीपुरिया के फार्म सी. कृषक द्वारा घोषणा पत्र में क्षेत्रफल व पट्टा नम्बर, पोस्त डोडे की कूल मात्रा अंकित हो उन काश्तकार के हस्ताक्षर व निशान अगुस्ठ थे। प्राप्त सभी फार्म सी गांव बेणीपुरिया में डोडा चुरा क कुल 42 क्विटंल 99 किलो ग्राम अकिंत की हुई थी। डोडा चुरा के थोक क्रय अनुज्ञाधारी द्वारा डोडा चुरा खरीदते समय उस गांव के मुखिया की अहम भुमिका होती है। व्यवहारिक तो गांव के काश्तकारो द्वारा अनुज्ञाधारी को डोडा चुरा देने के लिये गांव में एक सुरक्षित जगह इकट्ठा किया जाता है। जब पुरे गांव का डोडा चुरा इकट्ठा कर लिया जाता है तब गांव का मुखिया डोडा चुरा के ठेकेदार को फोन कर बताता है कि गांव के सभी का डोडाचुरा इकट्ठा

हो गया है तुम परमिट लेकर व काश्तकारो का डोडाचुरा तोल कर इनको पेमेन्ट कर ले जाओ। इस पर अनुज्ञाधारी परमिट उस गांव मे जाता है एवम् पट्टे धारियो के पट्टे का डोडा चुरा का तोल कर उनको पेमेन्ट व चुका स्वीकृत गोदाम में ले जाता है। अनुज्ञाधारी बिना मजदुरो के सहयोग से अकेला डोडाचुरा को अन्जाम नही दे सकता है इसलिये प्रथा मुताबिक डोडा चुरा कि तोल करने कि प्रक्रिया मजदुरो से काम करवाता है उन मजदुरो का आबकारी विभाग से कोई नोकर नामा जारी कर मजदुर अपने स्तर पर ही रखता है। **मुखिया नारकोटिक्स विभाग द्वारा नियुक्त किया जाता है जो अफीम की तुलवाई के दौरान भी काश्तकार व रहकर अफीम तुलवाई में व अफीम काश्तकार की पहचान करने में सहयोग करता है**।''

39. गॉव बेणीपुरिया के 36 काश्तकारों के नाम वर्ष 2014—15 में लाईसैंस जारी किया था और सभी ने अनुज्ञापत्र मुताबिक काश्तकारों ने बुवाई की थी और फॉर्म नं0 सी कृषक द्वारा भरकर दिनांक 01.04.2015 तक भरकर भिजवाये गये थे। घोषणा पत्र में क्षैत्रफल, पट्टा नम्बर, डोडाचूरा की कुल मात्रा अंकित है। सभी फार्म नं0 सी के अनुसार अफीम डोडाचूरा की मात्रा 42 क्विन्टल 99 किलो अंकित की है। **डोडाचूरा खरीद के समय मुखिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है**। इस तरह से गवाह पी डब्ल्यु 13 के बयान तथा प्रदर्श डी 01 बयान को सही होना बताया, जिसमें मुखिया को डोडाचूरा को इक्कठा करने का अधिकार होता है। इस तरह से कुल मात्र 42 क्विन्टल 99 किलो अनुमानित मात्रा फार्म नं0 सी में अंकित है और मौके से 47 क्विन्टल डोडाचूरा बरामद हुआ है और एफआर में जो अधिक मात्रा होना बताया गया है वह बताया गया कि 135 बारदान का वजन और फार्म नं0 सी में अनुमानित मात्रा होती है और डोडाचूरा जब तुलवाते है , तब कुछ अंतर आ सकता है। काश्तकारों द्वारा इलेक्ट्रोनिक तराजु का उपयोग नहीं किया जाता है। इस तरह से अंतर आना स्वभाविक है।

40. इस प्रकरण में तीनों मुलजिमान द्वारा काश्तकारों के अलावा किसी अन्य से डोडाचूरा का खरीद किया हो, ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जो अफीम डोडाचूरा इक्कठा हुआ है, वह लाईसैंसधारियों का था।

41. प्रथम अनुसंधान अधिकारी ने कहा कि डोडाचूरा किससे खरीद किया था, वह पता नहीं कर पाया। सेकण्ड अनुसंधान अधिकारी व थर्ड अनुसंधान अधिकारी सभी ने अफीम डोडाचूरा लाईसैंसधारियों का होना माना है। इस तरह से इस प्रकरण में यह संदेह पैदा हो गया है कि अफीम डोडाचूरा काश्तकारों का था या मुलजिमान द्वारा अवैध रूप से इक्कठा किया था। अवैध तरीके से अफीम डोडाचूरा इक्कठा किया हो, यह अभियोजन पक्ष संदेह से परे प्रमाणित नहीं कर पाया है।

42. अभियोजन पक्ष के गवाह पी डब्ल्यु 20 विनोद ठेकेदार को पेश किया है, जिसने कथन किया है कि डोडाचूरा खरीदने का ठेका आबकारी विभाग से झुन्झूनु व निम्बाहेडा तृतीय ग्रुप वर्ष 2014—15 के लिए 41 गांव का ठेका मिला था। उसके लाईसेंस नंबर 06 / 2014—15 था। उसने काश्तकारों से डोडाचूरा संग्रहण करने के लिए रसूलपुर में एक गोदाम आबकारी विभाग से स्वीकृत करवाकर लिया था। डोडाचूरा क्रय करने के लिए उसने अपने मजदूरों व कर्मचारियों को रखे थे जो डोडाचूरा लाईसेंसधारी काश्तकारों से खरीद कर इकट्ठा करके लंबरदार की मौजूदगी में विधिवत परमिट आबकारी विभाग से बनवाकर उसके रसूलपुर गांव में गोदाम के अंदर रखवाने हेतु संग्रहण करते थे। काश्तकारों से डोडाचूरा फॉर्म सी कृषक घोषणा पत्र मुखिया के ताईद करते हुए भरे जाने पर ही काश्तकार के लाईसेंस के आधार पर डोडाचूरा खरीद किया जाता था। गांव बेणिपुरिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ उसके क्षेत्र में था उस गांव में काश्तकारों से फॉर्म सी के आधार पर मुखिया की मौजूदगी में डोडाचूरा खरीद किया था और पंचायती नोहरे ने इकटठा किया था नंदलाल मुखिया ने उसे सूचना दी की डोडाचूरा पटटेधारी काश्तकारों से खरीद कर इकटठा कर लिया है आप परमिट लेकर आओ ताकि डोडाचूरा आपके गोदाम तक पहुंच जाए। उसने दिनांक 31.05.2015 को परमिट बनाने के लिए आबकारी विभाग में कार्यवाही की और परमिट लेकर वह आबकारी विभाग से रवाना हुआ इस बीच पुलिस ने आबकारी विभाग को सूचना देकर डोडाचूरा जब्त कर लिया। इस प्रकार कुल 36 पटटेधारी काश्तकार का डोडाचूरा फॉर्म सी के जरिए नियमानुसार खरीद किया जिसमें मुखिया नंदलाल, सोनू उर्फ सादे खां, नरेश कुमार, राजू, उमांशंकर, विक्रम गिरी इत्यादि को डोडाचूरा खरीदने के लिए

उसने ही मजदूरी पर रखा था और उन्ही को उसने अधिकृत किया था। नंदलाल, सोनू उर्फ सादे खां और नरेश कुमार उसके अधीनस्थ गांव बेणिपुरिया में डोडाचूरा संग्रहण हेतु नियुक्त थे। उन्होंने उसके अधीनस्थ ही डोडाचूरा संग्रहण का कार्य किया था। डोडाचूरा जो जब्त किया था वो लाईसेंसधारियों का था। जिन काश्तकारों का डोडाचूरा खरीद किया था उनका फॉर्म सी प्रदर्श पी 24 से प्रदर्श पी 59 तक है। उसके ठेके का लाईसेंस प्रदर्श डी 03 व प्रदर्श डी 04 है जो पुलिस को उसने दिया था। जिरह में गवाह ने स्वीकार किया है कि इस प्रकरण में वैध लाईसेंसधारियों का डोडाचूरा था एवं वेणीपुरिया गॉव के नंद लाल के नोहरे में रखवाया था। लाईसैंसधारियों का डोडाचूरा होने के कारण नंद लाल, सोनू तथा नरेश का इस प्रकरण में व डोडाचूरा से कोई संबंध नहीं है।

43. इस तरह से इस गवाह ने भी परमिट के जरिये सारा डोडाचूरा नंद लाल के यहॉ से ले जाकर रसुलपुरा गॉव में संग्रहण करना कहा है और नंद लाल मुखिया द्वारा गवाह को सूचना भी दी गई कि डोडाचूरा इक्कठा हो गया है, परमिट लेकर आ जाओं और डोडाचूरा ले जाओं और ठेके का लाईसेंस भी इस गवाह द्वारा पेश किये गये है, जो प्रदर्श डी 3, प्रदर्श डी 4 है। जिरह में भी स्पष्ट कहा है कि डोडाचूरा लाईसैंसधारियों का था। नंद लाल के नोहरे में उसने रखवाया था, जो वैध था। इस तरह से सभी अफीम डोडाचूरा जो जब्त हुआ है, इस गवाह ने अपना होना बताया है।

44. इस तरह से गवाह पी.डब्ल्यू 19 प्रीति जो कि गॉव की सरपंच है, ने कहा है कि ग्राम बेणीपुरिया के नंदलाल पिता जगन्नाथ धाकड़ के नोहरे के संबंध में जानकारी चाहने पर प्रदर्श पी. 84 के रूप में दी थी। जिरह में कहा है कि जो डोडाचूरा पुलिस ने जब्त किया था, वह डोडाचूरा गॉव के काश्तकारों का लाईसैंस का डोडाचूरा था और डोडाचूरा के संबंध में नंद लाल की कोई संलिप्तता नहीं थी।

45. परमिट से अधिक डोडाचूरा प्राप्त होने का कारण जो बताया गया है कि काश्तकारों के पास इलेक्ट्रोनिक कांटे नहीं होते। 135 बारदानों का वजन भी है। फार्म नं0 सी में अफीम डोडाचूरा की अनुमानित मात्रा होती है। ऐसी स्थिति में ज्यादा अफीम डोडाचूरा प्राप्त हुआ है, वह अवैध हो, यह

संदेह से परे प्रमाणित नहीं हुआ है। इस तरह से अभियोजन पक्ष मुलजिमान के विरूद्व यह साबित नहीं कर पाया है कि जो 42 क्विन्टल 99 किलो डोडाचूरा से अधिक डोडाचूरा प्राप्त हुआ है, वह अवैध डोडाचूरा था। इस तरह से अभियोजन पक्ष प्रकरण में जब्तशुदा डोडाचूरा अवैध रूप से इक्कठा कर रखा हो, यह संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों की इस प्रकरण में पालना की गई है। इस संबंध में हमारा विवेचन बिन्दुवार निम्नलिखित हैः

धारा 42 अधिनियम की पालना

46. इस बिन्दू के संबंध में बचाव पक्ष का तर्क है कि इस प्रकरण में धारा 42 अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं की है। उनका तर्क है कि मुखबिर की सूचना को अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार लेखबद्व नहीं किया गया तथा नियत समय अवधि में अपने उच्चाधिकारियों को सूचना नहीं भिजवायी गई। उनका तर्क है कि अधिनियम की धारा 42 के आज्ञापक प्रावधानों का अभियोजन पक्ष ने उल्लंघन किया है। विशेष लोक अभियोजक ने इसका विरोध किया।

47. अधिनियम की धारा 42 के अनुसार सक्षम अधिकारी को अधिनियम के तहत किसी अपराध के बारे में सूचना प्राप्त होने पर उसका यह दायित्व है कि वह उक्त सूचना को अभिलिखित करे और उसकी प्रति 72 घंटे के भीतर उच्चाधिकारियों को प्रेषित करे। उक्त धारा के अनुसार जब बरामदगी अधिकारी किसी भवन, प्रवहण या स्थान की तलाशी सूर्यास्त के उपरांत व सूर्योदय से पूर्व लेता है तो उसके द्वारा तलाशी वारंट प्राप्त किया जाना आवश्यक है। उक्त धारा में यह भी परंतुक दिया गया है कि—

48. ''उस अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण हो कि तलाशी वारंट अथवा प्राधिकार अपराधी को बचने के लिए सुविधा के साक्ष्य के छुपाव के लिए अवसर प्रदान किए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता, वह अपने विश्वास के आधारों को अभिलेखित करने के पश्चात् सूर्यास्त और सूर्योदय के

मध्य किसी भी समय उस भवन, प्रवहण अथवा परिवेष्टित स्थान में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा।''

49. उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली का अध्ययन किया। गवाह पी.डब्ल्यु 16 बाघ सिंह ने सशपथ कथन किया कि दिनांक 01.06.2015 को थानाधिकारी कनेरा के पद पर पदस्थापित था। उस दिन समय 12.25 पीएम पर जरिये मुखबीर की सूचना मिली कि, ''वेणीपुरिया गांव मे नंदलाल धाकड के नोहरे में तस्करी हेतु अफीम डोडाचूरा भारी मात्रा मे अवैध रूप से एकत्रित कर रखा है, अगर तुंरन्त तलाशी नहीं की गयी तो माल खुर्द–बुर्द या ट्रकों में भरकर ले जायेंगे।'' मुखबीर की सूचना विश्वनीय होने से रोजनामचा आम प्रदर्श पी 62 में रपट मुखबीर सूचना की नियमानुसार अंकित कर पृथक से मुखबीर की सूचना को जरिये फर्द प्रदर्श पी 09 के मुर्तिब कर अपने नियंत्रण अधिकारी एसपी, एड. एसपी व सीओ को देने हेतु जरिये डिस्पेच रजिस्टर प्रदर्श पी 67 के डिस्पेच कर कांस्टेबल हवा सिंह के साथ चित्तौड़गढ़ निम्बाहेडा के लिये रवाना किया, तलाशी वारंट प्राप्त करने में समय लगने से माल खुर्द–बुर्द होने की संभावना से व तुंरत मौके पर जाना आवश्यक होने से वारंट प्राप्त नहीं कर सका।

50. गवाह पी डब्ल्यु 11 हवासिंह ने गवाह पी डब्ल्यु 16 बाघ सिंह जब्ती अधिकारी के बयानों की पुष्टि करते हुवें सशपथ कथन किया कि दिनांक 01.06.2015 को एसएचओ ने उसे समय 12:25 पीएम पर चार लिफाफे एसपी, एडिश्नल एसपी तथा सीओ निम्बाहेड़ा को देने हेतु दिये, जिसे एसपी चित्तौड़गढ़ तथा सीओ निम्बाहेड़ा को देकर रसीद प्राप्त की। एडिशनल एसपी के बाहर होने से लिफाफा नहीं देकर एसएचओ को सम्भलाया। धारा 42 की सूचना प्रदर्श पी 09 है जिस पर ए से बी, सी से डी पुलिस उच्चाधिकारीयों की रिसीवड व हस्ताक्षर है।

51. इस संबंध में धारा 42 अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी 09 का अवलोकन करें तो उक्त सूचना बाघ सिंह थानाधिकारी कनेरा को दिनांक 01.06.2015 को समय 12.25 पीएम पर इस आशय की प्राप्त हुई है कि, ''वेणीपुरिया गांव मे नंदलाल धाकड ने अपने साथी सोनू उर्फ सादे खा तथा

नरेश कुमार तीनों ने नंद लाल के नोहरे में भारी मात्रा में अवैध अफीम डोडाचूरा तस्करों को बेचने के लिए तस्करी करने के लिए इक्कठा कर रखा है, अगर तुंरन्त नंद लाल के नोहरे की तलाशी नहीं की गयी तो माल खुर्द–बुर्द कर देगा या किसी वाहन में भरकर ले जायेंगे।'' सूचना मुखबिर अतिविश्वसनीय होने से व तलाशी के लिये वारन्ट प्राप्त करने में समय लगने की सम्भावना होने से बिना देरी किये उक्त सूचना को रोजनामचा आम में दर्ज कर उसके नियन्त्रण अधिकारी को भिजवाई गई है। प्रदर्श पी 09 पर उक्त सूचना की प्राप्ति रसीद ए से बी, सी से डी में उक्त सूचना दिनांक 01.06.2015 को ही उच्चाधिकारियों को प्राप्त हो गई है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी गवाह पी डब्ल्यु 16 बाघ सिंह तथा गवाह पी डब्ल्यु 11 हवासिंह की मौखिक साक्ष्य तथा फर्द धारा 42 (2) अधिनियम प्रदर्श पी 09, रोजनामचा प्रदर्श पी 62 तथा डिस्पेच रजिस्टर प्रदर्श पी 67 से यह तथ्य संदेह से परे साबित किया है कि अभियोजन पक्ष ने धारा 42 अधिनियम के प्रावधानों के तहत न केवल मुखबिर सूचना को रोजनामचा आम में लेखबद्व किया बल्कि उसे धारा 42 अधिनियम की पालना में पुलिस उच्च अधिकारियों को अधिनियम द्वारा नियत समय में भिजवाकर रसीद प्राप्त की थी। इस प्रकार प्रकरण में धारा 42 अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों की पूर्ण पालना हुई है।

धारा 50 अधिनियम 1985

52. अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि हस्तगत प्रकरण में धारा 50 '' अधिनियम 1985'' के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, इसलिए बरामदगी दूषित हो जाती है। उनका तर्क है कि अभियुक्तगण को उनके विधिक अधिकारों से अवगत नहीं कराया गया है कि सक्षम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने तलाशी लिवाए जाना उनका विधिक अधिकार है। उनका तर्क है कि धारा 50 अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं होने से अवैध डोडा चूरा की बरामदगी संदेहास्पद हो जाती है।

53. विशेष लोक अभियोजक का तर्क है कि अभियुक्त के शरीर से किसी प्रकार की बरामदगी नहीं हुई है, बल्कि अभियुक्त नंद लाल के कब्जेशुदा नोहरे से नंद लाल, सोनु उर्फ सादे खॉ तथा नरेश की उपस्थिति में अवैध

अफीम डोडाचूरा की बरामदगी हुई है। उनका तर्क है कि सहअभियुक्तगण को धारा 50 के विधिक अधिकार से अवगत कराये गये थे तत्पश्चात उनकी तलाशी ली गई थी तब उनके कब्जेशुदा नोहरे से अवैध डोडा चूरा बरामद हुआ था, इसलिए धारा 50 '' अधिनियम 1985'' के प्रावधान लागू नहीं होते है।

54. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण नंदलाल, सोनू उर्फ सादे खॉन तथा नरेश को धारा 50 अधिनियम के तहत तलाशी सहमति का नोटिस क्रमशः प्रदर्श पी प्रदर्श पी 12 लगायत प्रदर्श पी 14 के अनुसार अभियुक्तगण नंद लाल सोनू उर्फ सादे खॉन तथा नरेश को सूचित किया था कि, उपके कब्जेशुदा नोहरे में अवैध डोडाचूरा भारी मात्रा में पड़ा हुआ होने की विश्वसनीय मुखबिर सूचना मिली है इसलिए आपकी व आपके कब्जेशुदा नोहरे की तलाशी ली जानी है। आप चाहे तो तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट से लिवा सकते है। यह आपका वैधानिक अधिकार है और यदि आप चाहे तो यह तलाशी मन् एसएचओ बाघ सिंह थानाधिकारी कनेरा से भी लिवा सकते है। इस पर अभियुक्तगण नंद लाल, सोनू उर्फ सादे खॉ तथा नरेश ने अपनी तथा अपने कब्जेशुदा नोहरे की तलाशी बाघ सिंह थानाधिकारी कनेरा से लिवाने की सहमति दी जिसकी इबारत जी से एच भाग में है तथा जी से एच भाग पर अभियुक्त के हस्ताक्षर है, ए से बी भाग पर स्वतंत्र मौतबिरान किशन लाल तथा सी से डी रतन लाल के तथा ई से एफ भाग पर जब्ती अधिकारी बांघ सिंह के हस्ताक्षर है।

55. गवाह पी डब्ल्यु 16 बाघ सिंह ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 01.06.2015 को थानाधिकारी कनेरा के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मुखबिर की सूचना के अनुसरण में मय जाब्ता, मौतबीरान को साथ लेकर वेणीपुरिया स्थित नंदलाल धाकड के नोहरे पर पहुंचे। नोहरे के बडा लोहे का गेट लगा होकर अंदर से बंद था। इसपर आवाज देकर लोहे के दरवाजे को खुलवाया व सभी गोदाम के अंदर गये तो तीन व्यक्ति खाट पर बैठे हुये नजर आये जो हमे देखकर एकदम भागने लगे जिनको पकड़ नाम पता पूछने पर एक

ने अपना नाम नंदलाल व दूसरे ने अपना नाम सोनू उर्फ सादे खॉन व तीसरे अपना नाम नरेश होना बताया। जिनको मुखबिर की सूचना के बारे मे बताकर बताया कि उनके गोदाम में व उनके कब्जे में अवैध रूप से काफी मात्रा मे डोडाचूरा है, जिससे उनकी व उनके नोहरे की तलाशी लेना है, जिन्हे पृथक–पृथक नोटिस देकर बताया कि अगर वे अपनी व अपने नोहरे की तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट से लिवाना चाहते हो तो उन्हे बुलाने की व्यवस्था की जा सकती है या उससे भी तलाशी उनकी व उनके की लिवाना चाहते हो तो सहमति देवें। रूबरू मौतबीरान रतन लाल तथा किशन लाल के समक्ष अभियुक्तगण नंदलाल, सोनू उर्फ सादे खॉन तथा नरेश को धारा 50 अधिनियम के तहत तलाशी सहमति का नोटिस क्रमशः प्रदर्श पी प्रदर्श पी 12 लगायत प्रदर्श पी 14 दिये जाने पर तीनों ने ही बाघ सिंह से ही तलाशी लिवाई जाने की लिखित में सहमति दी। अभियुक्तगण नंद लाल, सोनु उर्फ सादे खा तथा नरेश की जामा तलाशी में प्रत्येक से एक एक मोबाईल तथा नंद लाल से 340 रूपये, नरेश से 120 रूपये नकद व तीनों से धारा 50 के नोटिस की प्रति मिली, जिनको सीलचिटबंद कर मार्क ए अंकित किया, नोटिसों को शामिल पत्रावली किये गये। प्रदर्श पी 12 लगायत प्रदर्श पी 14 के मौतबीर साक्षी गवाह पी डब्ल्यु 12 किशन लाल तथा पी डब्ल्यु 15 रतन लाल ने तलाशी सहमति का नोटिस क्रमशः प्रदर्श पी प्रदर्श पी 12 लगायत प्रदर्श पी 14 पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। अभियुक्तगण नंदलाल, सोनू उर्फ सादे खॉन तथा नरेश को धारा 50 अधिनियम के तहत तलाशी सहमति का नोटिस क्रमशः प्रदर्श पी प्रदर्श पी 12 लगायत प्रदर्श पी 14 में जब्ती अधिकारी पी डब्ल्यु 16 बाघ सिंह ने उनकी व उनके कब्जेशुदा नोहरे की तलाशी लिवाने की सहमति अवश्य दिये है, लेकिन हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण के शरीर के किसी भाग से मादक पदार्थ की बरामदगी नहीं हुई है, बल्कि उनके कब्जेशुदा नोहरे से अफीम डोडाचूरा की बरामदगी हुई है। ऐसी अवस्था में धारा 50 ''अधिनियम 1985'' के प्रावधान आकर्षित नहीं होते है। उक्त निष्कर्ष की पुष्टि माननीय न्यायिक दृष्टान्त किशन कुमार बनाम हरियाणा राज्य क्रिमीनल अपील नं0 1563 / 2010 दिनांक 23 मई 2014, 2010 (III) एससीसी 746 अजमेर सिंह बनाम हरियाणा राज्य, 1999 (6) एससीसी पेज 172 पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह तथा 2005 (4) एससीसी पेज 350 हिमाचल प्रदेश

राज्य बनाम पवन कुमार में प्रतिपादित सिद्वान्त से होती है। हस्तगत प्रकरण में भी अभियुक्तगण के शरीर से किसी प्रकार का मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ है और अभियुक्त के कब्जेशुदा नोहरे से अफीम डोडाचूरा बरामद होने से अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों की पालना किया जाना आवश्यक नहीं है। अतः विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

धारा 52 अधिनियम 1985

56. गवाह पी डब्ल्यु 16 बाघ सिंह ने सशपथ कथन किया है कि प्रकरण में अभियुक्तगण नंदलाल, सोनू उर्फ सादे खां व नरेश कुमार को धारा 52 अधिनियम के नोटिस क्रमशः प्रदर्श पी 16 लगायत प्रदर्श पी 18 देकर जरिये फर्द गिरप्तारी क्रमशः प्रदर्श पी 19 लगायत प्रदर्श पी 21 के गिरफ्तार किये गये। जब्ती अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 52 की पालना करते हुयें अभियुक्तगण नंद लाल, सोनू उर्फ सादे खा व नरेश को गिरफ्तार किया गया है।

''धारा 57 अधिनियम 1985'' की पालना

57. जब्ती अधिकारी पी.डब्ल्यू. 16 बाघ सिंह ने सशपथ कथन किया है कि धारा 57 की विस्तृत सूचना उच्चाधिकारियों को भिजवाई थी, जो प्रदर्श पी 02 है। धारा 57 की सूचना को जरिये डिस्पेच रजिस्टर प्रदर्श पी 68 के भिजवाई गई। गवाह पी.डब्ल्यू. 02 जय सिंह ने जब्ती अधिकारी पी डब्ल्यु 16 बाघ सिंह के कथनों की पुष्टि करते हुयें कहा है कि दिनांक 02.05.2015 को एसएचओ बाघसिंह ने तीन सीलबंद लिफाफे एसपी, एडिश्नल एसपी तथा सीओ निम्बाहेड़ा को देने हेतु दिये, जिसे लेकर जाने पर एसपी चित्तौड़गढ़ तथा सीओ निम्बाहेड़ा के मुख्यालय से बाहर होने से एडिशनल एसपी चित्तौड़गढ़ को धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की सूचना का लिफाफा दिया था। धारा 57 की सूचना प्रदर्श पी.2 पर ए से बी भाग पर एडशिनल एसपी के हस्ताक्षर है। जब्ती अधिकारी ने धारा 57 की विस्तृत सूचना प्रदर्श पी 02 के उच्चाधिकारी को विहित अवधि में नियमानुसार प्रेषित कर धारा 57 अधिनियम 1985 के प्रावधानों की पालना की है।

धारा 55 की पालना एवं नमूना सैंपल का प्राप्ति से लेकर एफएसएल में जमा होने तक सीलबन्द स्थिति में रहना एवं उक्त नमूने का अफीम डोडाचूरा सिद्ध होना

58. जब्ती अधिकारी पी डब्ल्यु 16 बाघ सिंह ने सशपथ कथन किया है कि बाद कार्यवाही जप्तशुदा अफीम डोडाचूरा के बोरे, आर्टिकल्स के थाने पर आये। प्रकरण में जप्तशुदा माल व आर्टिकल्स को चिटसीलबंद हालत में एचएम मालखाना को धारा 55 की फर्द प्रदर्श पी 03 के सुपुर्द किया गया, जिस पर गवाह ने अपने तथा मालखाना इन्चार्ज के हस्ताक्षर होना बताया है। धारा 55 की फर्द प्रदर्श पी 03 पर गवाह 04 शम्भु लाल ने अपने हस्ताक्षर होना बताया है।

59. गवाह पी डब्ल्यु 07 गोपाल सिंह ने गवाह पी डब्ल्यु 16 बाघ सिंह जब्ती अधिकारी के बयानों की पुष्टि करते हुवें सशपथ कथन किया है कि एसएचओ बाघ सिंह ने प्रकरण में जब्तशुदा डोडाचूरा के धारा 55 की फर्द प्रदर्श पी 03 के सीरियल नं0 01 लगायत 95 तथा 01 लगायत 40 बोरे कुल 135 बोरे डोडाचूरा मय सेम्पल के सम्भलाये जाने पर उसने मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 07 के क्रम संख्या 09 पर दर्ज किये। मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 07 पर गवाह ने अपना पृष्ठांकन ए से बी होकर, सी से डी उसके, इ से एफ हवा सिंह के हस्ताक्षर है। धारा 55 की फर्द प्रदर्श पी 03 पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर व आई से जे पृष्ठाकन होना बताया है। इस प्रकार प्रकरण में धारा 55 अधिनियम के प्रावधानों की पूर्ण रूपेण से पालना हुई है।

60. गवाह पी डब्ल्यु 07 गोपाल सिंह मालखाना इंचार्ज ने यह भी सशपथ कथन किया है कि दिनांक 17.06.2015 को इस प्रकरण का नमूना प्रयोगशाला में जांच हेतु जमा कराने के लिए हवा सिंह कांस्टेबल को सुपुर्द किया, जो प्रयोगशाला में जमा कराकर असल रसीद 6109 दिनांक 19.06.2015 लेकर आया। गवाह पी डब्ल्यु 11 हवा सिंह ने गवाह पी डब्ल्यु 07 गोपाल सिंह के कथनों की पुष्टि करते हुवें सशपथ कथन किया दिया कि दिनांक 17.06.2015 को मालखाना इन्चार्ज गोपाल सिंह से सेम्पल मार्क ए एफएसएल में जमा कराने हेतु प्राप्त कर चित्तौड़गढ़ एसपी कार्यालय से अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 06 बनवाकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर पहुंच सेम्पल को जमा करवा रसीद प्रदर्श पी

10 प्राप्त की। गवाह पी डब्ल्यु 06 उस्मानगनी ने अपने बयानों में गवाह पी डब्ल्यु 11 हवासिंह के बयानों की पुष्टि करते हुवें सशपथ कथन किया दिया कि दिनांक 17.06.2015 को थाना कनेरा से कांस्टेबल हवासिंह नं.123 प्रकरण संख्या 35/2015 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के पत्रादि व सेम्पल मार्क बी सीलचिटशुदा हालत में लेकर आने पर उसने चैक कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला के नाम अग्रेषणपत्र प्रदर्श पी.06 तैयार कर दिया। परिणामतः उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य सन्देह से परे स्थापित है कि मौके पर जब्त नमूना सेम्पल मार्क बी सीलचिट अवस्था में एफ एस एल जॉच हेतु जमा करवाया गया है। एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 85 में यह अंकित है कि नमुना सेम्पल मार्क बी सील्ड अवस्था में एफएसएल में जमा हुआ है। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में यह तथ्य संदेह से परे स्थापित है कि मौके पर जब्त नमुना सेम्पल मार्क बी सीलचिट अवस्था में एफएसएल जॉच हेतु जमा करवाया गया है। हस्तगत प्रकरण में नमूना सेम्पल अटूट एवं अक्षुणन हालत में एफएसएल में जमा हुआ है, जहां से प्राप्त जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी—85 के अनुसार नमूने में The extract of the sample packed in the packet marked B was found to contain constituents of opium, hence the sample is of dry crushed capsules of opium poppy from which juice has been extracted. होना पाया गया।

61. परिणामतः उक्त एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 85 से यह तथ्य साबित है कि अभियुक्तगण के कब्जे से बरामदशुदा मादक पदार्थ अफीम डोडाचूरा है।

नोटिफिकेशन 1/88 की पालना

62. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि नोटिफिकेशन 1/88 के अनुसार पालना नहीं की गई है एवं बरामदशुदा अफीम डोडाचूरा के बोरों में से प्रत्येक में से दो—दो सेम्पल नहीं लिये गये है बल्कि 135 बोरों से 100—100 ग्राम अवैध अफीम डोडाचूरा निकालकर जो 13 किलो 500 ग्राम हुआ, निकाले गये डोडाचूरा को एक तिरपाल पर मिश्रित किया उसमे से 500

ग्राम नमूना सेपल व 500 ग्राम कंट्रोल सेपल अलग निकाला जाकर दोनो सेम्पलो को सीलचिट बंद कर मार्क बी व सी दिया गया तथा शेष बचे 12 किलो 500 ग्राम डोडाचूरा को एक कट्टे में रख कर मार्क डी दिया गया। इस तरह से प्रकरण में नोटिफिकेशन 1/88 की अक्षरशः पालना नहीं हुई है।

62. गवाह पी.डब्ल्यु 16 बाघ सिंह जब्ती अधिकारी ने अपनी सशपथ कथन किया कि 95 बोरों पर **नाम पते लिखे हुये नहीं** थे, जिन्हें बोरों सं0 01 लगायत का **कुल वजन 33 क्विंटल 27 किलो 500 ग्रम** हुआ। 40 बोरे जिन्हें सिरियल नं0 01 लगायत 40 दिये, जिन पर **नाम लिखे** हुये थे, का तौल करने पर **कुल 14 क्विंटल 7 किलो 500 ग्राम** अवैध अफीम डोडाचूरा मय बारदान के हुआ। इस प्रकार कुल 135 बोरो का तौल करने पर **कुल 47 क्विंटल 35 किलो अवैध अफीम डोडाचूरा** मय बारदान के हुआ। प्रत्येक बोरे मे से 100–100 ग्राम सेम्पल के लिये अलग–अलग निकालने पर कुल 13 किलो 500 ग्रम हुआ, जिनको एक तिरपाल पर मिश्रित कर उसमे से 500 ग्राम नमूना सेम्पल व 500 ग्राम कन्ट्रोल सेम्पल अलग निकाले जाकर सीलचिट बंद कर मार्क बी व मार्क सी तथा शेष बचे 12 किलो 500 ग्राम डोडाचूरा को एक कट्टे में रख कर मार्क डी दिया गया। प्रकरण में जप्तशुदा अफीम डोडाचूरा की धारा 52 ए की कार्यवाही कार्यपालक मजिस्ट्रेट निम्बाहेड़ा द्वारा उसकी उपस्थिति में की थी, जो प्रदर्श पी 71 तथा फोटोग्राप्स प्रदर्श पी 72 लगायत प्रदर्श पी 77 है। नमूना सेम्पल मार्क बी आर्टिकल 01, कन्ट्रोल सेम्पल मार्क ए आर्टिकल 02, जामा तलाशी में मिला सामान आर्टिकल 03, नोहरे पर मिले बॉल पेन एवं केलकुलेंटर आर्टिकल 04 है।

63. नोटिफिकेशन 1/88 के अनुसार प्रत्येक कंट्नेर से दो समान सेम्पल लिया जाना आवश्यक प्रक्रिया है। इस स्थिति में बरामद अफीम डोडाचूरा के कट्टों में से दो–दो सेम्पल नहीं लिये जाने से नोटिफिकेशन की पालना नहीं हुई है। अफीम डोडाचूरा के सेम्पल इस नोटिफिकेशन में वर्णित प्रक्रियानुसार नहीं लिये गये है।

64. यहॉ यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण में धारा 52 ए की कार्यवाही प्रदर्श पी 71 तथा फोटोग्राप्स प्रदर्श पी 72 लगायत 77 को अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाया गया है, किन्तु धारा 52 ए की कार्यवाही के दौरान प्रतिनिधि सेम्पल भी नहीं लिये गये है। जब्ती अधिकारी ने जिरह में यह भी कहा है कि मजिस्ट्रेट द्वारा प्रत्येक बोरोंको तौला

भी नहीं गया है और ना ही प्रदर्श पी 71 के अनुसार प्रतिनिधि सेम्पल भी निकाले गये है।

65. प्रकरण में मुद्दा माल पेश नहीं हुआ है और ना ही धारा 52 ए की कार्यवाही के तहत लिये गये प्रतिनिधि सेम्पल निकला है, ना ही समस्त माल को अपने समक्ष तुलवाया गया है। मात्र नमूना सेम्पल मार्क बी व कन्ट्रोल सेम्पल मार्क ए पेश हुआ है। प्रकरण में यह भी स्वीकृत तथ्य है कि हस्तगत प्रकरण में धारा 52 ए की कार्यवाही सम्पादित हुई है, जो भी उचित तरीके से नहीं हुई है। यह सही है कि क्रिमीनल अपील नं0 1497/2019 राजस्थान राज्य बनाम सहीराम निर्णय दिनांक 27.09.2019 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि **when the seizure of material is proved on record and is not even disputed, the** entire contraband material need not be placed on record. यह सही है कि सभी माल यदि एफएसएल जाने तक सीलचिट अवस्था में रहा है और रेकार्ड से सारा मादक पदार्थ जब्त किया जाना साबित है तो मादक पदार्थ को न्यायालय में पेश किया जाना आवश्यक नहीं है।

66. लेकिन इस प्रकरण में जो नमूना सेम्पल लिया गया है वह प्रत्येक बोरे में से नहीं लिया गया है तथा प्रत्येक बोरे का सेम्पल एफएसएल जांच हेतु एफएसएल नहीं पहुंचा है। मात्र एक नमूना सेम्पल ही एफएसएल तक गया है और एक कन्ट्रोल सेम्पल ही न्यायालय में पेश हुआ है। जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **नेतराम बनाम राजस्थान राज्य 2014 (1) सी. आर.एल.आर. राजस्थान पेज 163** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि प्रत्येक बोरे में से सैंपल नहीं निकाले गए है तो केवल एक बोरे से सैंपल निकाला माना जा सकता है इसलिए अभियुक्त को एक बोरे के कब्जे के लिए दोषी माना जा सकता है।

67. **जयपाल सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य 2016 (3) सी. आर. एल. आर. राज. पेज 1590** वाले प्रकरण में माननीय राजस्थान

उच्च न्यायालय द्वारा माननीय राज.उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये न्यायिक दृष्टातों **भागीरथराम बनाम राज.राज्य, नेतराम बनाम राज.राज्य, ठाकरराम बनाम राज.राज्य में** प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुसार यदि बरामद मादक पदार्थ के प्रत्येक बोरे में से दो दो सैंपल नहीं निकाले गये हैं और सभी बोरों में से थोडा थोडा माल लेकर मिक्स कर उनके दो सैंपल तैयार किये गये हैं तो ऐसी स्थिति में कम से कम एक बोरा अभियुक्त के कब्जे में होना माना जा सकता है।

68. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये उक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्वान्तों के आधार पर हमारा यह निष्कर्ष है कि हस्तगत प्रकरण में 135 बोरे में से दो–दो सैंपल नहीं लिये गये हैं, बल्कि सभी बोरें से थोडा–थोडा माल लेकर उनमें से दो सेंपल लिये गये है।

प्रकरण का मुद्‌दा माल

अभियुक्तगण के आधिपत्य से अफीम डोडाचूरा की बरामदगी एवं मुददा माल की प्रस्तुति

69. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क है कि इस प्रकरण से संबंधित मालखाना को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं हुआ है। इसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए। विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने इसका विरोध किया।

70. गवाह पी डब्ल्यु 16 बाघ सिंह जब्ती अधिकारी की साक्ष्य के दौरान नमूना सेम्पल मार्क बी आर्टिकल 01, कन्ट्रोल सेम्पल मार्क ए आर्टिकल 02, जामा तलाशी में मिला सामान आर्टिकल 03, नोहरे पर मिले बॉल पेन एवं केलकुलेंटर आर्टिकल 04 को प्रस्तुत किया है और मालखाने के अभाव में गवाह के बयान डेफर किये गये। उक्त गवाह के बयान 27.07.2023 को लेने पर मुख्य परीक्षण में यह **नोट अंकित किया गया है कि प्रकरण में धारा 52 ए की कार्यवाही हो चुकी है तथा संबंधित मालखाना गवाह के पूर्व बयानों में प्रदर्शित कराया जा चुका है तथा शेष नष्ट किया जा चुका है। अतः मुख्य परीक्षण समाप्त करते है**। जिरह में गवाह ने स्वीकार किया है कि धारा

52 ए एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही के दौरान मजिस्ट्रेट साहब ने बोरों का तौल नहीं किया था। यह कहना सही है कि धारा 52 ए एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही के दौरान मजिस्ट्रेट साहब ने प्रतिनिधि सेम्पल उसके समक्ष नहीं निकाले थे। बोरों का तौल नहीं किया था। यह कहना सही है कि धारा 52 ए एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही के दौरान बोरे थाने के चौक में पड़े हुयें थे। प्रदर्श पी 73 लगायत प्रदर्श पी 77 के फोटोग्राफ में माल खुले में थाना परिसर में दिखाई दे रहा है।

71. **माननीय राज. उच्च न्यायालय ने इस संबंध में बनवारी बनाम राज्य एस.बी.क्रिमीनल अपील नं.136/2014 मुख्य पीठ जोधपुर के सम्मानीय विनिश्चय में दिनांक 09.10.2017** को पारित निर्णय में मुद्दा माल को साबित करने के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है किः–The Hon'ble Supreme Court and this Court have time and again held that exhibiting the Muddamaal in the self same condition or proving the inventory and photographs prepared under Section 52A of the NDPS Act is an indispensable requirement so as to accept the evidence of seizure and hold the accused guilty of the charge under the NDPS Act. Failure to do so would deprive the court of verifying truthfulness of the alleged seizure. The legislature has provided a wholesome alternative mechanism to the investigating agency of preparing inventory/ memorandum and photographs of the recovered articles under Section 52A of the NDPS Act which can be proved in the court by way of admissible substantive evidence of the seized articles rather than adopting the cumbersome procedure of producing and exhibiting the muddamal in the court.

72. **धारा 52–क स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम, 1985 की उपधारा 4 के अनुसार–**भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872(1872 का 1) या दण्ड़ प्रक्रिया संहिता, 1973(1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला प्रत्येक न्यायालय, उपधारा(2) के अधीन तैयार की गई और मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित तालिका,(स्वापक औषधियों, मनः प्रभावी प्रदार्थो, नियंत्रित पदार्थो का हस्तान्तररणों) के फोटोचित्रों और नमूनों की सूची को, ऐसे अपराध के संबंध में, प्राथमिक साक्ष्य मानेगा।

73. इस प्रकार उपरोक्त किये गये विवेचन से **प्रकरण में मुद्दा माल को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया** है। धारा 52 ए की कार्यवाही के दौरान बोरों का तौल भी नहीं हुआ है और ना ही मौके पर प्रतिनिधि सेम्पल ही लिये गये है। जब्ती अधिकारी के समक्ष धारा 52 ए की कार्यवाही हुई है, जिसने अपने बयानों में कहा है कि बोरों का तौल नहीं किया गया। प्रकरण में 95 बोरों जिन पर नाम पते लिखे हुये नहीं थे, जिन्हें बोरों सं0 01 लगायत 95 का कुल वजन 33 क्विंटल 27 किलो 500 ग्रम हुआ। 40 बोरे जिन्हें सिरियल नं0 01 लगायत 40 दिये, जिन पर **नाम लिखे** हुये होकर पट्टेशुदा होना बताये है, का तौल करने पर कुल 14 क्विंटल 7 किलो 500 ग्राम अवैध अफीम डोडाचूरा मय बारदान के हुआ। इस प्रकार कुल 135 बोरो का तौल करने पर **कुल 47 क्विंटल 35 किलो अवैध अफीम डोडाचूरा** मय बारदान के हुआ। प्रत्येक बोरे मे से 100–100 ग्राम सेम्पल के लिये अलग–अलग निकालने पर कुल 13 किलो 500 ग्रम हुआ, जिनको एक तिरपाल पर मिश्रित कर उसमे से 500 ग्राम नमूना सेम्पल व 500 ग्राम कन्ट्रोल सेम्पल अलग निकाले जाकर सीलचिट बंद कर मार्क बी व मार्क सी तथा शेष बचे 12 किलो 500 ग्राम डोडाचूरा को एक कट्टे में रख कर मार्क डी दिया गया। इस प्रकार प्रकरण में लाईसैंसशुदा 40 बोरे से अफीम डोडाचूरा के सेम्पल तथा बिना लाईसैंसशुदा 95 बोरे से अफीम डोडाचूरा को मिक्स कर सेम्पल लिये गये है, जिससे यह भी पता नहीं चल पाया है कि कौन से सेम्पल लाईसेंसशुदा अफीम डोडाचूरा के है और कौन से सेम्पल बिना लाईसैंसशुदा के है, यह अभियोजन की साक्ष्य से संदेह से परे साबित नहीं हो पाया है।

74. जब्ती अधिकारी ने यह भी कहा है कि प्रतिनिधि सेम्पल भी नहीं निकाले गये। माल चौक में पड़ा हुआ था। इस तरह से 52 ए की कार्यवाही जो प्रावधान है, उसके तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा ना तो कोई प्रमाण पत्र दिया गया है, बोरों का तौल भी नहीं किया है केवल सूची को प्रमाणित किया है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट को साक्ष्य सूची में जगह नहीं मिली है। न्यायालय में माल आया भी नहीं है। यह सही है कि 42 क्विन्टल 99 किलो माल तो लाईसैंसशुदा काश्तकारों का माल होना मुलजिमान के अधिवक्ता द्वारा माना गया है तो ऐसी स्थिति में **अधिक माल जो मिला है, क्योंकि प्रत्येक बोरे से सेम्पल नहीं लिये गये है, प्रत्येक बोरों को धारा 52 ए की कार्यवाही के दौरान तौला नहीं गया है तो यहॉ यह भी संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि 47 क्विन्टल माल था या नहीं**।

75. मेरे विनम्र मत में अभियोजन पक्ष साक्ष्य से यह सिद्ध करने में **असफल** रहा है कि दिनांक 01.06.2015 को समय 2.30 पीएम या उसके लगभग मौजा बेणीपुरिया में अभियुक्त नंदलाल धाकड़ के निर्माणाधीन नोहरे गोदाम की विधिनुसार तलाशी के दौरान बाघसिंह एसएचओ पुलिस थाना कनेरा मय जाब्ता ने वहां पर अभियुक्तगण नंद लाल, सोनू उर्फ सादे खॉ तथा नरेश द्वारा रखा कुल 135 बोरों व कट्टों में से बारदान सहित **कुल 47 क्विंटल 35 किलो अवैध अफीम डोडाचूरा** बरामद किया जिसे रखने व परिवहन करने का अभियुक्तगण के पास कोई अनुज्ञापत्र नहीं था। अतः मेरे विनम्र मत में अभियोजन पक्ष **अभियुक्तगण नंद लाल, सोनू उर्फ सादे खॉ तथा नरेश** के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 8/15 अधिनियम युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णरूपेण **असफल** रहने से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

—:: आदेश ::—

76. अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण नंदलाल पिता जगन्नाथ धाकड, निवासी बेणीपुरिया, थाना कनेरा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.), सोनु उर्फ सादे खां पिता बद्री खान मैरासी मुसलमान, निवासी टीबी, थाना टीबी, जिला हनुमानगढ़ (राज.) तथा नरेश कुमार पिता सोहनलाल मेघवाल, निवासी टीबी, थाना टीबी, जिला हनुमानगढ़ (राज.) के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 8/15 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अपराध संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण नंद लाल, सोनू उर्फ सादे खॉ तथा नरेश कुमार को धारा 8/15 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** घोषित किये जाते है।

77. प्रकरण में जब्तशुदा मादक पदार्थ को बाद गुजरने मियाद अपील इस प्रकरण में पारित निर्णयों से कोई अपील न होने की सुरत में पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित कमेटी द्वारा नियमानुसार निस्तारण किया जाये।

(अचला आर्य)

78. निर्णय आज दिनांक 13.08.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(अचला आर्य)

//जैन//